# सेन्ट्रल मंथन

खण्ड 11 अंक - 3 | केवल आंतरिक परिचालन हेतु | दिसम्बर, 2025

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

## क्षमता निर्माण: विकास की नई दिशा

हिन्दी माह 2025 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में केन्द्रीय कार्यालय की गृह पत्रिका सेन्ट्रलाइट के सितंबर 2025 अंक का विमोचन करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक श्री एम वी मुरली कृष्णा, श्री महेन्द्र दोहरे, मुख्य महाप्रबंधक सुश्री पॉपी शर्मा एवं सहायक महाप्रबंधक-राजभाषा श्री हितेन्द्र धूमाल.

केन्द्रीय कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 205वीं बैठक में राजभाषा विभाग द्वारा तैयार 'सेन्ट्रल राजभाषा सहायिका' का विमोचन करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक श्री एम वी मुरली कृष्णा, श्री महेन्द्र दोहरे, मुख्य महाप्रबंधक सुश्री पॉपी शर्मा एवं अन्य कार्यपालकगण.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिन्दी गृह-पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

प्रकाशन तिथि : 11.02.2026 खण्ड 10 - अंक - 3 - दिसंबर, 2025






आवरण पृष्ठ डिजाइन -
सुश्री सुनयना सायोनारा, उप शाखा प्रमुख, होली एंजल्स शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम

**प्रधान संरक्षक**

श्री कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**संरक्षक**

श्री एम. वी. मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

श्री महेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

श्री ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

**उप संरक्षक**

श्री कुशल पाल
महाप्रबंधक

**संपादक**

श्री हितेन्द्र धूमाल
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

**सहायक संपादक**

श्री अमित कुमार झा
श्री सुनील कुमार साव
सुश्री साक्षी राय

# विषय-सूची

माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश 02
माननीय कार्यपालक निदेशक श्री एम. वी. मुरली कृष्णा का संदेश 03
माननीय कार्यपालक निदेशक श्री महेन्द्र दोहरे का संदेश 04
माननीय कार्यपालक निदेशक श्री ई. रतन कुमार का संदेश 05
माननीय महाप्रबंधक श्री कुशल पाल का संदेश 06
श्री ई रतन कुमार, कार्यपालक निदेशक का संक्षीप परिचय 07
संपादकीय 08
निरंतर समाशोधन 09
भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी एवं इसकी बोलियों की भूमिका 13
काव्य कुंज 15
पुरुष के आँसू 16
सोशल मीडिया का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव 17
बैंकिंग में सुरक्षा अधिकारी का महत्व एवं सुरक्षा के नियम व उपाय 19
केन्द्रीय कार्यालय मुंबई में आयोजित हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियां 20-21
अपेक्षित क्रेडिट लॉस ढांचा: भारतीय बैंकों की लाभप्रदता और व्यवहार्यता पर प्रभाव 22
क्षमता निर्माण: विकास की नई दिशा 25
देवनागरी की दो धाराएँ : हिंदी और मराठी का साझा प्रवाह 27
बैंकिंग में राजभाषा का महत्व 29
हमारे नराकास पुरस्कार 31
राजभाषा हिन्दी की अन्य भारतीय भाषाओं के साथ समरसता 33
भारत में लघु वित्त बैंक की प्रासंगिकता 35
हिन्दी भाषा के विकास में अहिन्दी भाषियों का योगदान 37
संयुक्त अरब अमीरात: प्रगति, विरासत और अनुशासन का प्रेरणादायक मॉडल 39

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार अनिवार्यत: बैंक के नहीं हैं.

डिज़ाइन, संपादन तथा प्रकाशन : श्री हितेन्द्र धूमाल, सहायक महाप्रबंधक-राजभाषा, एम.जी.रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 023 के लिए तथा उनके द्वारा उचीथ ग्राफिक प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड, आइडियल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मथुरादास मिल्स कंपाउण्ड, सेनापती बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.

# माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

**प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,**

नववर्ष 2026 के आगमन पर, मैं आप सभी एवं आपके परिवारजनों को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और सफलता से परिपूर्ण वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ.

बीता हुआ वर्ष हम सभी के लिए वास्तव में विशेष रहा है. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 115 गौरवशाली वर्षों का उत्सव बड़े गर्व के साथ मनाया. यह केवल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह दूरदृष्टि, त्याग और समर्पण की वह प्रेरक गाथा है, जो हम सभी को आपस में जोड़ती है.

वर्ष 1911 में सर सोराबजी पोचखानावाला ने एक स्वप्न और गहरी आस्था के साथ हमारे बैंक की स्थापना की थी. तब से लेकर आज तक, अनेक पीढ़ियों के नेतृत्वकर्ताओं और कर्मचारियों ने इस महान संस्था को ईंट-दर-ईंट संवारते हुए आगे बढ़ाया है. मैं उन सभी महान विभूतियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ एवं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ. जिनके मूल्य और प्रतिबद्धता आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं.

मैं हमारे उन सम्मानित ग्राहकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जो वर्षों से सेन्ट्रलाइट परिवार का अभिन्न अंग रहे हैं और निरंतर अपने विश्वास, निष्ठा तथा सहयोग से हमें सशक्त बनाते रहे हैं. मैं आप सभी तथा आपके परिवारजनों का बैंक के प्रति अटूट समर्थन और अमूल्य योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ.

प्रिय साथियों मैं आप सभी तथा आपके परिवारजनों के निरंतर समर्पण, व्यक्तिगत त्याग और असंख्य योगदान के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे बैंक को प्रत्येक दिन और अधिक सशक्त तथा बेहतर बनाते हैं. आपकी प्रतिबद्धता मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ.

वर्ष 2026 में प्रवेश करते हुए हमारा आगे का मार्ग एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली मंत्र से प्रेरित होगा - C.A.R.E.

### C.A.R.E. - ग्राहक प्रथम, राष्ट्र सर्वदा, जन-जन सदैव.

यह केवल एक मंत्र नहीं है. यह एक ऐसी सोच और दर्शन है, जो यह दर्शाता है कि हम कौन हैं, किन मूल्यों पर हम विश्वास करते हैं और हम मिलकर किस दिशा में आगे बढ़ेंगे. मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे लिए इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का क्या अर्थ है.

### C - ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता

ग्राहक हमेशा ही सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केंद्र में रहे हैं. प्रत्येक संवाद, प्रत्येक उत्पाद और प्रत्येक सेवा में संवेदनशीलता, तत्परता और पेशेवर दृष्टिकोण झलकना चाहिए. हमारा उद्देश्य केवल ग्राहकों को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रसन्न करना है. उनके बैंकिंग अनुभव को इतना सकारात्मक बनाना है कि वे बार-बार हमें ही चुनें और आने वाली पीढ़ियों तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया उनका पसंदीदा बैंक बना रहे.

### A - आकांक्षात्मक और सतत विकास

हम जिम्मेदार और संतुलित व्यवसायिक विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे कासा आधार को सुदृढ़ करना, एमएसएमई क्षेत्र को अधिक समर्थन देना और उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करना हमारे केन्द्र बिन्दु रहेंगे. हमारा विकास विवेक, जोखिम अनुशासन और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के साथ संतुलित रहेगा.

### R - राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत में भूमिका

एक गौरवशाली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी व्यापक है. सरकारी प्राथमिकताओं, वित्तीय समावेशन तथा विकासात्मक पहलों को सक्रिय रूप से समर्थन देकर हम विकसित भारत के संकल्प में - एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सार्थक योगदान देते रहेंगे.

### E - कर्मचारी का परिवार सहित कल्याण

हमारे कर्मचारी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं. हमारे कर्मचारियों और उनके परिवारों का कल्याण हमारे प्रत्येक कार्य का आधार है और यह मेरे लिए सदैव प्रमुख प्राथमिकता रहेंगे.

मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपना और एक-दूसरे का ध्यान रखें. यह बात सदैव स्मरण रखें कि जब आप आगे बढ़ते हैं और समृद्ध होते हैं, तब आपका बैंक भी प्रगति करता है.

115 वर्षों की इस गौरवशाली संस्था के संरक्षक के रूप में, आइए हम नववर्ष में नव उत्साह, सामूहिक उद्देश्य और अपनी विरासत पर गर्व के साथ प्रवेश करें, साथ ही भविष्य पर हमारा ध्यान पूरी दृढ़ता से केंद्रित रहे.

आइए 2026 को एक यादगार वर्ष बनाएं. उपलब्धियों का वर्ष. प्रगति का वर्ष. एक ऐसा वर्ष, जो हम सभी को गौरवान्वित करे.

मैं एक बार फिर आप सभी तथा आपके प्रियजनों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ. ईश्वर आप सभी को सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि प्रदान करें.

सस्नेह शुभकामनाओं सहित,

**कल्याण कुमार**
**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

# माननीय कार्यपालक निदेशक श्री एम. वी. मुरली कृष्णा का संदेश

**प्रिय सेन्ट्रलाइट्स,**

हमारे बैंक की स्थापना वर्ष 1911 में दूरदर्शी एवं दृढ़ निश्चयी सर सोराबजी पोचखानावाला द्वारा की गई थी. उन्होंने न केवल एक पूर्णत: स्वदेशी बैंक की नींव रखी, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि राष्ट्र की सेवा और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यप्रणाली सदैव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. यह गौरवशाली विरासत आज भी हमें उत्कृष्टता, पारदर्शिता और ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है.

जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कुछ प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक जैसे लागत-आय अनुपात, सीडी अनुपात, शुद्ध ब्याज मार्जिन तथा सकल एनपीए अभी भी उद्योग मानकों से नीचे हैं. ये संकेतक हमें यह स्मरण कराते हैं कि हमारी सभी गतिविधियों में त्वरित कार्यवाही, उत्तरदायित्व और सतत निगरानी अत्यंत आवश्यक है.

हमारे बैंक के पास 8 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं, जिसके चलते क्रॉस-सेलिंग और अप-सेलिंग की संभावनाएँ अत्यंत व्यापक हैं. सभी शाखाओं एवं कार्यालयों को विद्यमान ग्राहकों का प्रभावी रूप से उपयोग करते हुए व्यवसाय में वृद्धि, ग्राहकों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने तथा बैंक के लिए बेहतर विकास अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान अपेक्षित है:

- **ऋण सृजन एवं शक्तियों का प्रभावी उपयोग:** सभी शाखाएँ एवं अंचल आरएलसीसी एवं जेडएलसीसी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का समयबद्ध एवं अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें.

- **निगरानी एवं नियंत्रण:** यद्यपि ऋण स्वीकृति एवं ऋण वृद्धि में सकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है, तथापि सभी निर्धारित नीतियों एवं नियंत्रण तंत्रों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य है. क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा सीपीएसी की गतिविधियों की सतत निगरानी की जाए तथा शाखा स्तर पर किसी भी असामान्य या असंतुलित गतिविधि की तत्काल जाँच कर आवश्यक सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जाएँ.

साथियो, सतत विकास तभी संभव है जब उसके साथ सुदृढ़ प्रशासन, जोखिम अनुशासन और उत्तरदायित्व जुड़ा हो. प्रत्येक शाखा और अंचल की छोटी-छोटी उपलब्धियाँ मिलकर बैंक की समग्र सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं.

हमारी गौरवशाली विरासत हमें यह प्रेरणा देती है कि चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है. उचित प्रयास, समर्पण और निरंतर निगरानी के माध्यम से हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं. आइए, हम सभी मिलकर अपने बैंक को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करें और 1911 से चली आ रही इस यात्रा को नई ऊँचाइयों तक ले जाएँ. इस मार्ग पर आपके निरंतर समर्पित प्रयासों के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ.

**(एम. वी. मुरली कृष्णा)**
**कार्यपालक निदेशक**

# माननीय कार्यपालक निदेशक श्री महेन्द्र दोहरे का संदेश

**प्रिय सेन्ट्रलाइट्स,**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास गर्व और प्रेरणा से भरा है. 1911 में सर सोराबजी पोचखानावाला द्वारा इस बैंक की स्थापना न केवल एक स्वदेशी बैंक के रूप में हुई, बल्कि यह भारतीय बैंकिंग और राष्ट्रहित की दृष्टि से एक मिसाल भी बन गया. उस समय की चुनौतियाँ और संघर्ष, हमारी आज की प्रगति की नींव हैं.

आज, 115 वर्षों के इस गौरवशाली सफर में हमारा बैंक न केवल आधुनिक बैंकिंग तकनीक को अपनाने में अग्रणी रहा है, बल्कि ग्रामीण वित्तीय समावेशन, डिजिटल लेन-देन और ग्राहक सेवा में नए मानक स्थापित करने में भी सफल रहा है. हमारे स्टाफ की प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता ने बैंक को अनेक चुनौतियों के बावजूद मजबूत और भरोसेमंद संस्था बनाया है.

साथियो, इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि चुनौतियाँ हमेशा मौजूद रहती हैं. वर्तमान में हमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सतत सुधार की आवश्यकता है- जैसे ऋण वितरण में गति, कासा जमा में बढ़ोत्तरी, एनपीए पर नियंत्रण, मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण और जोखिम अनुशासन.

विशेष रूप से, हमारे बैंक की **आस्ति गुणवत्ता** हमेशा हमारी वित्तीय मजबूती और भरोसे का आधार रही है. यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी ऋण और संपत्ति पोर्टफोलियो उच्च गुणवत्ता वाले हों, डिफॉल्ट या निष्क्रिय खातों की निगरानी निरंतर हो, और समय पर रिकवरी व रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से जोखिम न्यूनतम किया जाए. प्रत्येक शाखा और अंचल की सक्रिय निगरानी और जवाबदेही ही हमारी आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने और बैंक की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाती है.

हमारा गौरवशाली अतीत और वर्तमान प्रगति हमें यह संदेश देती है कि सुसंगठित प्रयास, निरंतर सुधार और समर्पण के साथ हम आने वाले वर्षों में बैंक को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं. आइए, हम सभी मिलकर अपने बैंक को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करें और 1911 से निरंतर चल रही इस यात्रा को और गौरवपूर्ण बनाएं.

मैं आप सभी के समर्पित प्रयासों और योगदान हेतु हृदय से धन्यवाद देता हूं.

**(महेन्द्र दोहरे)**
**कार्यपालक निदेशक**

# माननीय कार्यपालक निदेशक श्री ई. रतन कुमार का संदेश

**प्रिय सेन्ट्रलाइट्स,**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 1911 से चली आ रही यात्रा भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय है. सर सोराबजी पोचखानावाला द्वारा स्थापित यह संस्था समय के साथ बदलती चुनौतियों को स्वीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रही है. हमारी यह विरासत हमें न केवल अतीत पर गर्व करना सिखाती है, बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखाती है.

मेरे लिए यह विशेष सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे समय में कार्यपालक निदेशक के रूप में बैंक की सेवा का दायित्व संभाल रहा हूँ, जब बैंक अपने डिजिटल परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण चरण में है. इससे पूर्व, मुख्य महाप्रबंधक के रूप में 'सेंट नियो' जैसे विशेषीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर मेरा यह अनुभव रहा है कि तकनीक केवल एक सहायक साधन नहीं, बल्कि बैंकिंग के भविष्य की आधारशिला है.

आज बैंक का डिजिटलीकरण केवल प्रक्रियाओं के स्वचालन तक सीमित नहीं है. यह ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने और निर्णय-प्रक्रिया को अधिक सटीक एवं तेज बनाने का माध्यम बन चुका है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डेटा-आधारित निर्णय, साइबर सुरक्षा और नवाचार अब हमारी कार्य संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा हैं.

साथियो, हमारी गौरवशाली विरासत हमें यह सिखाती है कि समय के साथ आगे बढ़ना ही स्थायित्व की कुंजी है. आने वाले समय में हमें तकनीक को और अधिक अपनाते हुए, इसे जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करना होगा. प्रत्येक शाखा, प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक कर्मचारी की डिजिटल सहभागिता ही इस परिवर्तन को सार्थक बनाएगी.

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे समर्पित मानव संसाधन, मजबूत संस्थागत मूल्य और तकनीकी दृष्टिकोण के समन्वय से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, बल्कि भविष्य की बैंकिंग आवश्यकताओं में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा.

आइए, हम सभी मिलकर अपनी गौरवशाली विरासत को सहेजते हुए, तकनीक के माध्यम से बैंक को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करें और 1911 से निरंतर चली आ रही इस यात्रा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएँ.

आप सभी के सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक धन्यवाद.

**(ई. रतन कुमार)**
**कार्यपालक निदेशक**

# माननीय महाप्रबंधक श्री कुशल पाल का संदेश

**प्रिय सेन्ट्रलाइट्स,**

''क्षमता निर्माण - विकास की नई दिशा'' वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति उसके मानव संसाधन की क्षमता, कौशल और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति में निहित होती है।

तेजी से बदलते बैंकिंग वातावरण में तकनीक, नियामकीय अपेक्षाएँ, ग्राहक व्यवहार और प्रतिस्पर्धा निरंतर नए आयाम ले रहे हैं। ऐसे में केवल प्रक्रियाओं या प्रणालियों का अद्यतन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता, दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता का सतत विकास भी उतना ही आवश्यक है। मानव संसाधन प्रबंधन का मूल उद्देश्य यही है कि प्रत्येक कर्मचारी की अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान किए जाएँ।

क्षमता निर्माण केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें ज्ञान संवर्धन, कौशल उन्नयन, व्यवहारिक दक्षता, नवाचार की सोच और सकारात्मक कार्य संस्कृति का समावेश होता है। बैंक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, ई-लर्निंग, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, कार्यस्थल पर सीखने की पहल और अनुभव साझा करने के मंच इसी सोच को सुदृढ़ करते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि संगठन की सामूहिक क्षमता भी सशक्त होती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सीखने को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें, परिवर्तन को अपनाएँ और अपने कार्य में उत्कृष्टता लाने का सतत प्रयास करें। जब हमारा मानव संसाधन सक्षम, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार होगा, तभी बैंक अपने विकास लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकेगा और ग्राहकों को श्रेष्ठ सेवाएँ प्रदान कर पाएगा।

मुझे विश्वास है कि सेन्ट्रल मंथन का यह अंक सभी पाठकों को क्षमता निर्माण के महत्व पर चिंतन करने और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आप सभी से अपेक्षा है कि अपने ज्ञान, अनुभव और विचारों के माध्यम से बैंक के विकास पथ में सक्रिय योगदान देते रहेंगे।

आप सभी के उज्ज्वल भविष्य और निरंतर प्रगति की कामना के साथ।

**(कुशल पाल)**
**महाप्रबंधक-राजभाषा**

सुस्वागतम

## श्री ई. रतन कुमार का

# संक्षिप्त परिचय

श्री ई. रतन कुमार ने दिनांक 24 नवंबर 2025 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है. इससे पूर्व वे मुख्य महाप्रबंधक - प्रौद्योगिकी के रूप में बैंक के डिजिटल संवर्धन का दायित्व संभाल रहे थे.

उन्होंने आरईसी (वर्तमान में एनआईटी), इलाहाबाद से बी.ई. (कंप्यूटर साइंस) तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स में एम.टेक. की उपाधि प्राप्त की है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के एनएमआईएमएस से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर भी किया है.

उन्हें बैंकिंग के विविध क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त है, जिसमें मिड कॉर्पोरेट शाखा, कॉर्पोरेट वित्त शाखा के प्रभारी; वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रमुख और अंचल प्रमुख के रूप में कार्य करना शामिल है. परिचालन बैंकिंग और टेक्नोलॉजी दोनों में विविध अनुभव रखने के साथ-साथ प्रक्रिया पुनर्रचना की गहरी समझ के कारण, वे हमारे संगठन में समृद्ध और प्रभावशाली ज्ञान के पूरक हैं.

वर्तमान पदभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने बैंक में विभिन्न विभागों जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना एवं विकास, व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना विभाग, ऋण निगरानी, सीडीआर सेल आदि का भी कार्यभार संभाला है. उन्होंने बैंक की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, जिनमें ओमनी-चैनल और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं. समग्र रूप से उन्हें टेक्नोलॉजी और बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशकों का अनुभव है.

मुख्य महाप्रबंधक - प्रौद्योगिकी के रूप में, उन्होंने बैंक में डिजिटल पहलों का नेतृत्व किया है और बैंक की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना 'डिजिटल रणनीति और संवर्धन' में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है.

# संपादकीय

## ''राजभाषा : संवेदना, संकल्प और सशक्तिकरण का माध्यम''

किसी छोटे से गाँव में एक पुराना कुआँ था। वर्षों तक वही कुआँ पूरे गाँव की प्यास बुझाता रहा। समय बदला, आबादी बढ़ी, ज़रूरतें बढ़ीं, पर कुआँ वही रहा। पानी कम होने लगा। तब गाँव वालों के सामने दो विकल्प थे। या तो दूर से पानी लाया जाए या उसी कुएँ को और गहरा, मजबूत और सक्षम बनाया जाए। गांव वालों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कुएँ की मरम्मत की, नई तकनीक अपनाई और लोगों को पानी के सही उपयोग की समझ दी। कुछ समय बाद वही कुआँ पहले से अधिक उपयोगी और टिकाऊ बन गया।

यह कहानी केवल एक कुएँ की नहीं, बल्कि हर संस्था और हर व्यक्ति की है। संसाधन हमारे पास पहले भी थे, आज भी हैं। अंतर केवल इतना है कि हम उन्हें कितना विकसित करते हैं और समय के अनुसार कितना सक्षम बनाते हैं। यही सोच क्षमता निर्माण की मूल भावना है।

आज का बैंकिंग परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है। तकनीक, डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक अपेक्षाएँ और नियामकीय ढाँचे निरंतर नए रूप ले रहे हैं। ऐसे में किसी भी बैंक की स्थायी सफलता उसके भवनों, प्रणालियों या आँकड़ों से नहीं, बल्कि उसके मानव संसाधन की क्षमता से तय होती है। जब अधिकारी और कर्मचारी नए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सशक्त होते हैं, तभी संगठन विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे उस गाँव ने केवल कुआँ गहरा नहीं किया, बल्कि पानी के सही उपयोग की समझ भी विकसित की, उसी प्रकार संगठन में क्षमता निर्माण का उद्देश्य केवल दक्षता बढ़ाना नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है।

हमारे बैंक में निरंतर सीखने और स्वयं को अद्यतन रखने की परंपरा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, ई-लर्निंग, कार्यस्थल पर सीखने की पहल और ज्ञान साझा करने के मंच इस बात के प्रमाण हैं कि बैंक भविष्य के लिए अपने मानव संसाधन को तैयार कर रहा है। यह प्रयास केवल आज की चुनौतियों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की संभावनाओं के लिए भी है।

सेन्ट्रल मंथन का यह अंक हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हम अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचान रहे हैं? क्या हम सीखने के अवसरों का पूरा उपयोग कर रहे हैं? क्या हम बदलाव को चुनौती के रूप में देख रहे हैं या अवसर के रूप में? इन प्रश्नों के उत्तर ही हमारे व्यक्तिगत और संस्थागत विकास की दिशा तय करेंगे।

हमें विश्वास है कि यह अंक पाठकों को नई सोच, नए दृष्टिकोण और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जब हर कर्मचारी स्वयं को सक्षम बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाता है, तो पूरा संगठन विकास की नई ऊँचाइयों को छूता है।

**(हितेन्द्र धूमाल)**
**सहायक महाप्रबंधक-राजभाषा**

# निरंतर समाशोधन

## 1. परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश की बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निरंतर समाशोधन प्रणाली की शुरुआत की है. इस नई पहल का पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 3 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू होगा. यह कदम चेक/ड्राफ्ट - आधारित लेनदेन को गतिशील, पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है.

**चेक/ड्राफ्ट ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)** का मुख्य उद्देश्य चेक/ड्राफ्ट की भौतिक आवाजाही को समाप्त कर उसकी स्कैन की गई इलेक्ट्रॉनिक छवि के माध्यम से निपटान करना था. इससे प्रक्रिया में तेजी आई और धोखाधड़ी की संभावना कम हुई.

हालांकि सीटीएस ने उल्लेखनीय प्रगति की, फिर भी यह ''सेशन आधारित'' थी - यानी चेक/ड्राफ्ट की प्रक्रिया निश्चित अंतराल के बाद तय समय पर ही होती थी. इससे ग्राहकों को धनराशि प्राप्त करने में विलंब और रिटर्न में देरी होती थी.

**निरंतर समाशोधन** इन सीमाओं को दूर करता है. अब चेकों का प्रसंस्करण वास्तविक समय में होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया निरंतर प्रवाह में परिवर्तित हो जाती है और समाशोधन अपनी निरन्तरता में अभिव्यक्त होता है.

## 2. भारत में चेक/ड्राफ्ट समाशोधन का विकास

### 2.1 प्रारंभिक मैनुअल व्यवस्था

डिजिटल युग से पहले चेक/ड्राफ्ट का समाशोधन पूरी तरह मैनुअल था. बैंकों के बीच भौतिक चेकों की आवाजाही में कई दिन लगते थे. क्षेत्रीय सीमाओं, भौगोलिक चुनौतियों तथा परिवहन में लगने वाले समय के कारण यह प्रक्रिया जटिल और धीमी थी.

### 2.2 एमआईसीआर और सीटीएस का आगमन

1980 के दशक में एमआईसीआर (Magnetic Ink Character Recognition) प्रणाली शुरू हुई, जिससे ''चेक/ड्राफ्ट पहचान'' आसान हुई.

2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली लागू की - जिसमें चेक/ड्राफ्ट की स्कैन की गई छवियों और डेटा का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से समाशोधन किया जाता है.

इससे निपटान का समय घटकर टी +1 या उसी दिन तक हो गया.

### 2.3 सेशन-आधारित प्रणाली की सीमाएँ

सीटीएस में अब भी निर्धारित समाशोधन सत्र (जैसे सुबह, दोपहर, शाम) होते थे. कट-ऑफ समय के बाद जमा हुए चेक/ड्राफ्ट अगले दिन ही प्रसंस्कृत होते थे. इससे ग्राहक को धनराशि प्राप्त करने में देरी होती थी.

निरंतर समाशोधन इन सीमाओं को खत्म कर देता है. अब चेक/ड्राफ्ट जब भी प्रस्तुत किया जाए, उसी समय उसकी प्रक्रिया और उसका निपटान / निर्णय सम्पन्न होता है.

## 3. निरंतर समाशोधन की अवधारणा

निरंतर समाशोधन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंक अपने चेक/ड्राफ्ट पूरे कार्य समय में किसी भी समय प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके लिए अलग-अलग समाशोधन सत्रों की आवश्यकता नहीं रहती.

### मुख्य विशेषताएँ:

1. **सेशन-रहित परिचालन** : अब कोई निश्चित समय स्लॉट नहीं बल्कि समाशोधन प्रक्रिया पूरे दिन निरंतर चलती है.
2. **स्वचालित कार्यप्रवाह:** चेक/ड्राफ्ट की छवि और डेटा प्राप्त होते ही समाशोधन गृह उसे प्रसंस्कृत करता है.
3. **गतिशील निपटान:** राशि का क्रेडिट या रिटर्न लगभग तत्काल होता है.
4. **बेहतर नकदी प्रबंधन:** बैंक अपनी तरलता का वास्तविक समय में प्रबंधन कर सकते हैं.
5. **24x7 दिशा में कदम:** प्रारंभ में यह बैंकिंग समय तक सीमित होगा, लेकिन भविष्य में 24x7 समाशोधन का मार्ग प्रशस्त करेगा.

## 4. निरंतर समाशोधन के उद्देश्य

भारतीय रिजर्व बैंक की इस पहल के प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. **गति और दक्षता:** चेक/ड्राफ्ट प्रस्तुति और निपटान के बीच के समय को कम करना.
2. **ग्राहक सुविधा:** ग्राहकों को शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराना.
3. **मानकीकरण:** देशभर के सभी बैंकों में समान समाशोधन प्रक्रिया लागू करना.
4. **डिजिटल एकीकरण:** इसे नेफ्ट, आरटीजीएस, और यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों के अनुरूप बनाना.
5. **धोखाधड़ी नियंत्रण:** चुस्त व गतिशील निगरानी और त्वरित निर्णय से धोखाधड़ी की संभावना घटाना.
6. **वित्तीय समावेशन:** ग्रामीण और अर्ध-शहरी ग्राहकों को शीघ्र क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराना.
7. **वैश्विक मानदंड:** भारतीय समाशोधन प्रणाली को वैश्विक रूप देना.

## 5. ग्राहकों के लिए लाभ

निरंतर समाशोधन से ग्राहकों, व्यापारियों, किसानों और उद्यमियों को अनेक लाभ होंगे जिनमें से प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

1. **धनराशि की शीघ्र उपलब्धता:**

   अब ग्राहकों को अगली समाशोधन प्रक्रिया का इंतज़ार नहीं करना होगा. देर से जमा चेक/ड्राफ्ट भी तुरंत प्रसंस्कृत होंगे.

2. **अनिश्चितता में कमी:**

   ग्राहक को तुरंत पता चल जाएगा कि चेक/ड्राफ्ट पास हुआ या लौटाया गया.

3. **पारदर्शिता में सुधार:**

   पूरी प्रक्रिया ट्रैक करने योग्य होगी. ग्राहक मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग से स्थिति जान सकते हैं.

4. **बेहतर नकदी प्रवाह:**

   व्यापारियों और कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी का प्रबंधन आसान होगा.

5. **लेनदेन लागत में कमी:**

   निपटान अवधि कम होने से ओवरड्राफ्ट या अंतरिम वित्त की आवश्यकता घटेगी.

6. **परिचालन-प्रवाह**

**निरंतर समाशोधन के चरण:**

1. प्रस्तुत करने वाला बैंक चेक/ड्राफ्ट स्कैन कर तुरंत डेटा भेजता है.
2. समाशोधन गृह तुरंत इसे प्रसंस्कृत कर भुगतानकर्ता बैंक को भेजता है.
3. भुगतानकर्ता बैंक चेक/ड्राफ्ट की पुष्टिकर भुगतान ''पे'' या अस्वीकार ''रिटर्न'' संबंधी निर्णय भेजता है.
4. निपटान स्वत: और निरंतर रूप से होता रहता है.

## 6. प्रमुख चुनौतियाँ

निरंतर समाशोधन प्रक्रिया जहां गति और कौशल सुनिश्चित करती है वहीं यह तकनीकी, विनियामक और परिचालनात्मक चुनौतियों को भी रेखांकित करती है जो कि मुख्यतया निम्नानुसार हैं:

1. **तकनीकी अधोसंरचना:** उच्च गति नेटवर्क और निरंतर सर्वर अपडेशन अत्यंत आवश्यक हैं। निरंतर समाशोधन के शुरुआती दिनों में एनपीसीआई के आप्ट्रा और नेस पोर्टल, जिनसे विभिन्न समाशोधन रिपोर्ट्स अपलोड और डाउनलोड की जाती हैं, उनका प्रतिसाद बेहद धीमा और अनियमित था किन्तु अब इसमें निरंतर सुधार परिलक्षित हो रहा है.
2. **डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन:** सभी प्रणालियों का एक समान समय पर अपडेट होना आवश्यक.
3. **मानव संसाधन:** चौबीसों घंटे पर्याप्त और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता.
4. **रिटर्न प्रबंधन:** अस्वीकृत चेकों की त्वरित सूचना प्रणाली की आवश्यकता.
5. **धोखाधड़ी का जोखिम:** गतिशील प्रसंस्करण के कारण निगरानी समय घटता है - इसलिए एआई आधारित जोखिम पहचान जरूरी है.
6. **नियामक अनुपालन:** भारतीय रिजर्व बैंक के तकनीकी मानकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन.
7. **संगठनात्मक परिवर्तन:** बैंकों की आंतरिक प्रक्रियाओं में आवश्यक बदलाव और समाशोधन कार्य प्रणाली का सशक्तीकरण.
8. **क्या करें और क्या न करें**

**क्या करें:**

1. मजबूत आईटी सिस्टम और बैकअप रखें.
2. भारतीय रिजर्व बैंक के सीटीएस मानकों का पालन करें.

3. स्वचालित मिलान और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग लागू करें.
4. कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षित करें.
5. तकनीकी साझेदारों व सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय बनाए रखें.
6. समय-सीमा का पालन करें.
7. ग्राहकों को त्वरित एसएमएस/ईमेल सूचना दें.
8. बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को निरंतर समाशोधन से होने वाले फायदे, समय-सीमा और बदले हुए नियमों- निर्देशों के प्रति जागरूक बनाया जाए. इसी प्रकार उनसे चेक जारी करने के पूर्व चेकबुक को सीबीएस सिस्टम में दर्ज करवाने, खाते में पर्याप्त धनराशि रखने और अनिवार्यत: पीपीएस (रु. पाँच लाख व उससे अधिक) फीडिंग करने का अनुरोध किया जाना चाहिए.

**क्या न करें:**

1. मैनुअल हस्तक्षेप से बचें.
2. आउटफाइल देरी से न भेजें.
3. सुरक्षा अपडेट को नज़रअंदाज़ न करें.
4. सिस्टम को एक साथ ओवरलोड न करें.
5. एक्सेप्शन रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ न करें.
6. आरबीआई/एनपीसीआई/ केन्द्रीय कार्यालय के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को अनदेखा न करें.
7. चेक/ड्राफ्ट को अंतिम समय तक एकत्रित न करें बल्कि इसे नियमित अंतराल पर भुगतानकर्ता बैंक को भेजते रहें.
8. चेक/ड्राफ्ट को यूवी लैंप से जाँचे बिना न भेजें. रु.5000/-और उससे अधिक मूल्य के ड्राफ्ट पर दो हस्ताक्षरों के बिना उसे जारी न करें. इसी प्रकार चेक/ड्राफ्ट पर रबर की मुहर इस प्रकार न लगाएं कि कोई महत्त्वपूर्ण सूचना दिखायी न पड़े. उदाहरण के लिए रेंडम नंबर, राशि, तिथि, नाम इत्यादि.

**9. हितधारकों पर प्रभाव**

| हितधारक | प्रभाव / लाभ |
|---|---|
| ग्राहक | गतिशील क्रेडिट, रीयल-टाइम जानकारी, सुविधा |
| बैंक | परिचालन दक्षता, बेहतर नकदी प्रबंधन |
| भारतीय रिजर्व बैंक | संपूर्ण प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि |
| एनपीसीआई/ सीसीआईएल | उन्नत अवसंरचना और स्वचालित प्रक्रिया |
| वेंडर / फिनटेक | नई एकीकृत सेवाओं के अवसर |

**10. तुलना: पारंपरिक बनाम निरंतर मॉडल**

| पैरामीटर | पारंपरिक सीटीएस समाशोधन | निरंतर समाशोधन |
|---|---|---|
| प्रक्रिया | निश्चित सत्र (2-3 प्रतिदिन) | निरंतर, गतिशील प्रवाह |
| निपटान गति | T+0 या T+1 | लगभग रीयल-टाइम |
| रिटर्न प्रक्रिया | अलग सत्र | प्रस्तुति के साथ एकीकृत |
| परिचालन भार | सत्र समय पर अधिक | पूरे दिन समान रूप से वितरित |
| नकदी प्रबंधन | सीमित दृश्यता | रीयल-टाइम जानकारी |
| ग्राहक लाभ | विलंबित क्रेडिट | त्वरित अपडेट और सुविधा |

**11. जोखिम नियंत्रण रणनीतियाँ**

1. **स्वचालित निगरानी उपकरण** - एआई आधारित डैशबोर्ड.
2. **साइबर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण** - मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन.
3. **व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी)** - बैकअप और डिजास्टर रिकवरी साइट.
4. **ऑडिट ट्रेल्स** - सभी प्रक्रियाओं का अभिलेख.
5. **अंतर-बैंक समन्वय** - एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एकीकृत संचार प्रोटोकॉल.

**12. भावी-दिशा**

निरंतर समाशोधन केवल एक परिचालनात्मक बदलाव नहीं बल्कि भारत की आधारभूत बैंकिंग संरचना में एक रणनीतिक रूपांतरण है. इसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी हो सकते हैं:

1. **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** निरंतर समाशोधन का प्रथम चरण अक्टूबर 2025 में लागू हो चुका है और इसका दूसरा चरण जनवरी 2026 में प्रस्तावित है. इसके लागू होने के पूर्व प्रथम चरण के अनुभव के आधार पर समुचित अधोसंरचना की उपलब्धता तथा सभी बैंकों की तैयारी का आकलन अत्यंत आवश्यक है ताकि, दूसरे चरण में निरंतर समाशोधन का सुचारु कार्यान्वयन संभव हो सके.
2. **नियामक निगरानी:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय मानकों के अनुसार इसकी समीक्षा और निगरानी हो.

3. **सहयोग:** बैंकों, समाशोधन गृहों, तकनीकी साझेदारों और नियामक संस्थाओं के बीच सतत संवाद.
4. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डेटा एनालिटिक्स:** धोखाधड़ी नियंत्रण और इसके पूर्वानुमान में नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग.
5. **ग्राहक जागरूकता:** नई प्रक्रिया की जानकारी और उससे होने वाले फायदों का समुचित प्रचार-प्रसार .
6. **24x7 समाशोधन की दिशा में कदम:** भविष्य में पूरी तरह रीयल-टाइम प्रणाली का उद्देश्य.

## 13. निष्कर्ष

निरंतर समाशोधन भारत की बैंकिंग प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है. यह कागज़ आधारित लेनदेन को भी डिजिटल भुगतान की गति और पारदर्शिता से जोड़ता है.

सेशन-आधारित सीमाएँ समाप्त कर यह प्रणाली ग्राहकों को गतिशील सेवा, बैंकों को बेहतर नकदी प्रवाह और देश को एक अधिक मज़बूत वित्तीय स्थिति प्रदान करती है.

जनवरी 2026 में दूसरे चरण के कार्यान्वयन के साथ, इस सुधार की सफलता बैंकों, समाशोधन गृह और तकनीकी साझेदारों की सामूहिक तत्परता पर निर्भर करेगी.

यदि निरंतर समाशोधन को दूसरे चरण में भी प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो निरंतर समाशोधन भारत को उन अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर देगा जहाँ रीयल-टाइम पेपर-आधारित भुगतान प्रणाली सफलतापूर्वक परिचालित होती है.

## संदर्भ

1. विजन डॉक्यूमेंट, आरबीआई 2025.
2. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र, "चेक ट्रंकेशन प्रणाली के अंतर्गत निरंतर समाशोधन का कार्यान्वयन,'' सितंबर 2025.
3. एनपीसीआई परिचालन दिशानिर्देश, 2025.
4. भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 (भुगतान और निपटान प्रणाली अनुभाग).

**प्रदीप पाटिल**
सहायक महाप्रबंधक
एस एस बी, चेन्नई

# हमारे तिरुवनंतपुरम क्षेत्र द्वारा पद्म भूषण श्री नम्बी नारायणन का सम्मान

**115वें स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत तिरुवनंतपुरम क्षेत्र को प्रख्यात पूर्व इसरो वैज्ञानिक पद्म भूषण श्री नम्बी नारायणन को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में रॉकेट में उपयोग होने वाली क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने में उनका अहम योगदान है। उनके जीवन पर आधारित ''Rocketry-The Nambi Effects'' नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रमुख श्री पी. कफ़ील अहमद तथा श्री एन. उमेश पोट्टी, सहायक महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।**

# भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी एवं इसकी बोलियों की भूमिका

भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक रही हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई न केवल एक राजनीतिक संघर्ष था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और भाषाई पुनर्जागरण का भी दौर था। इस ऐतिहासिक आंदोलन में हिंदी भाषा और इसकी विविध बोलियों ने एक सेतु की भूमिका निभाई, जिसने देश के विभिन्न हिस्सों को एक साझा ध्येय के लिए जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

15वीं से 18वीं शताब्दी तक भक्तिकाल में तुलसीदास (अवधी), सूरदास (ब्रज), कबीर (लोकबोली) जैसे संतों ने हिंदी की बोलियों में रचनाएँ लिखकर आम जनमानस के हृदय को छू लिया। इन रचनाओं में धर्म, सामाजिक समानता और आंतरिक स्वतंत्रता की बात की गई - जो कालांतर में राजनीतिक स्वतंत्रता की चेतना में रूपांतरित हुई। यही भाषिक परंपरा आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक आधार की भूमिका निभाने लगी।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन प्रबल हो चुका था, तब भारतीयों के बीच आत्मसम्मान और सांस्कृतिक अस्मिता की भावना जागने लगी। यह वह समय था जब हिंदी को एक आधुनिक भाषा के रूप में विकसित करने के प्रयास तेज़ हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं, ने हिंदी को भारतीय स्वाभिमान और जागरूकता का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा था, ''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।''

हिंदी पत्रकारिता ने भी इसी काल में जन्म लिया। 'उदंत मार्तंड' (1826) जैसे समाचार पत्रों ने हिंदी को एक नई सामाजिक आवाज़ दी। इन माध्यमों से हिंदी जन-जागरण, औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध चेतना और राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने लगी।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी न केवल संवाद का माध्यम बनी, बल्कि यह आंदोलन की आत्मा के रूप में भी उभरी। अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व कर रहे नेताओं और क्रांतिकारियों को यह स्पष्ट था कि जब तक देश की जनता को उनकी ही भाषा में संबोधित नहीं किया जाएगा, तब तक व्यापक जनजागरण संभव नहीं होगा। ऐसे में हिंदी एक ऐसी भाषा के रूप में सामने आई जिसे बहुसंख्यक भारतीय सहजता से समझते और अपनाते थे।

महात्मा गांधी ने हिंदी को भारत की ''राष्ट्रभाषा'' कहकर संबोधित किया और उसे आंदोलन की भाषा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने 'हिंदुस्तानी' (हिंदी और उर्दू का सम्मिलित रूप) को जनसंपर्क का प्रमुख माध्यम बनाया, जिससे उत्तर और दक्षिण, हिंदू और मुस्लिम, शिक्षित और अशिक्षित सभी तबकों से संवाद स्थापित किया जा सके। उन्होंने यह स्पष्ट कहा था: ''एक देश, एक भाषा, एक लिपि से ही राष्ट्रीय एकता संभव है।''

कांग्रेस के अधिवेशनों में हिंदी को प्राथमिक भाषा के रूप में अपनाया गया। प्रमुख नेता जैसे पं. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेन्द्र प्रसाद आदि भी हिंदी में भाषण देकर आम जन को जोड़ने का प्रयास करते थे। हिंदी में दिए गए भाषण और नारे, जैसे ''अंग्रेज़ों भारत छोड़ो'', ''स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'' आदि, जनमानस में गूंजने लगे और देशभक्ति की भावना को जागृत करने लगे।

गांव-गांव और शहर-शहर में हिंदी की सरल शैली में लिखे गए पत्रक, कविताएँ, क्रांतिकारी लेख और भाषणों ने स्वतंत्रता की भावना को घर-घर पहुँचाया। इस तरह हिंदी केवल एक भाषा नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन बन गई - एक ऐसा माध्यम जिसने गुलाम भारत की चेतना को आज़ादी की ओर अग्रसर किया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी पत्रकारिता और साहित्य ने अद्वितीय भूमिका निभाई। जब देश में अंग्रेज़ी सत्ता का शिकंजा मजबूत हो रहा था और प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा था, तब भी हिंदी के पत्रकारों और साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से सत्य, साहस और स्वराज का संदेश फैलाना जारी रखा। इन प्रयासों ने जनजागरण को गहराई दी और स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक मजबूती दी।

हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1826 में ''उदंत मार्तंड'' नामक पहले हिंदी साप्ताहिक अख़बार से हुई, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से प्रकाशित किया। इसके बाद बुद्धि प्रकाश, बनारस अख़बार, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, सार्थक जैसे अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना कर जनमत तैयार करने का कार्य किया। इन पत्रों के माध्यम से भारतीय जनता को न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के असली चेहरे को भी उजागर किया गया।

साहित्यिक क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह ' दिनकर ', सुभद्राकुमारी चौहान, और सोहनलाल द्विवेदी जैसे रचनाकारों ने अपनी कविताओं, नाटकों और कहानियों के माध्यम से जनता में स्वाभिमान, त्याग और बलिदान की भावना को जगाया। मैथिलीशरण गुप्त की कविता 'भारत-भारती'' उस समय के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। वहीं, सुभद्राकुमारी चौहान की कविता ''झाँसी की रानी'' आज भी लोगों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला जगाती है: ''ख़ूब लड़ी मर्दानी, वह तो झाँसी वाली रानी थी...''

इन रचनाओं ने न केवल जनता के मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष को जन्म दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम को विचारों, भावनाओं और स्वप्नों का वह स्वरूप दिया जिसे देश के कोने-कोने में समझा और अपनाया गया।

महात्मा गांधी ने यह महसूस किया कि अगर हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा बनाना है, तो उसका प्रचार दक्षिण भारत सहित अन्य गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1918 में ''दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा'' की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य था कि हिंदी को गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के आम लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन में सभी वर्गों की भागीदारी हो सके। इस संस्था ने शिक्षकों की नियुक्ति, मुफ्त कक्षाएँ, परीक्षा योजनाएँ और साहित्य वितरण जैसे कार्यक्रम चलाए, जिससे लाखों लोग हिंदी सीखने लगे।

हिंदी साहित्य सम्मेलन (स्थापित 1910) और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (स्थापित 1920) जैसी संस्थाओं ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए। इन संस्थाओं ने साहित्यकारों, पत्रकारों और शिक्षकों को एक मंच दिया, जहाँ से हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा में शामिल किया जा सका।

इस प्रकार, हिंदी प्रचार संस्थाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक साझा भाषिक मंच प्रदान किया, वहीं हिंदी विरोध आंदोलनों ने भाषाई लोकतंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया।

हिंदी भाषा का स्वरूप जितना व्यापक है, उतनी ही समृद्ध हैं इसकी बोलियाँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी की मानक खड़ी बोली के साथ-साथ इसकी विविध बोलियाँ - जैसे ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मैथिली, राजस्थानी, मारवाड़ी आदि ने भी राष्ट्रवादी चेतना को जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन बोलियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को स्थानीय भावनाओं से जोड़कर एक राष्ट्रीय रंग दिया।

## लोकभाषा में जनजागरण

स्वतंत्रता आंदोलन केवल शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि गाँव-गाँव तक इसकी गूंज थी। हिंदी की बोलियाँ ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में संवाद का प्रमुख माध्यम थीं। इन बोलियों में रचे गए क्रांतिकारी लोकगीत, चौपालों में होने वाली कवि-गोष्ठियाँ, नाटक और जनगीत सीधे जनता से जुड़ते थे। जैसे अवधी में गाई जाने वाली लोककथाएँ और भोजपुरी में रचे गए प्रेरक गीत किसानों, मजदूरों और महिलाओं तक स्वतंत्रता का संदेश सरलता से पहुँचा देते थे।

## संत साहित्य और राष्ट्रीय चेतना

तुलसीदास (अवधी), सूरदास (ब्रजभाषा), कबीर (सधुक्कड़ी) जैसे संतों की रचनाएँ पहले से ही जनमानस में गहराई से पैठी हुई थीं। जब इनकी पंक्तियाँ स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ी गईं, तो वे न केवल धार्मिक संदेश देती रहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना का स्रोत भी बन गईं। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया।

महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा दिया जो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप थी और कई बोलियों से प्रभावित थी। यह भाषा उत्तर भारत में सहज रूप से बोली-समझी जाती थी और हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद का पुल बन गई। इससे आंदोलन को व्यापक सामाजिक समर्थन मिला।

इस प्रकार, हिंदी की बोलियों ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल भाषाई समर्थन नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक ऊर्जा भी दी, जिससे आंदोलन अधिक जीवंत और समावेशी बन सका।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, भाषाई और वैचारिक क्रांति भी थी। इस क्रांति की धुरी में हिंदी और उसकी बोलियाँ एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में विद्यमान रहीं। हिंदी ने जन-जन को एक साझा स्वर दिया, जिससे वे अपने अधिकारों, आकांक्षाओं और अस्मिता की बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सके। इसकी बोलियों ने इस स्वर को और भी अधिक जीवंत और प्रभावशाली बना दिया।

हिंदी ने देश की विविधताओं के बीच एकता की भावना को जन्म दिया। इसने राष्ट्र की परिकल्पना को भाषा के स्तर पर आकार दिया और स्वतंत्रता की भावना को गांव-गांव, गली-गली तक पहुँचाया। चाहे वह गांधी जी का भाषण हो, नेहरू जी का संदेश, कवियों की पंक्तियाँ हों या लोकगीतों की गूंज - हिंदी और उसकी बोलियों ने आज़ादी के स्वर को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया।

यह भी स्मरणीय है कि भारत की भाषाई विविधता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी एकता। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली, वहीं संविधान सभा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि हिंदी किसी भी क्षेत्रीय भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं होगी। इसी दृष्टिकोण से 1950 के बाद हिंदी को 'राजभाषा' का दर्जा दिया गया, न कि 'राष्ट्रीय भाषा' का - जिससे देश की अन्य भाषाओं को भी बराबरी का सम्मान मिले।

अंततः, स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और उसकी बोलियाँ न केवल संचार का माध्यम थीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतीक बन गईं। उन्होंने भारत को एकजुट किया, प्रेरित किया और उसकी आत्मा में स्वतंत्रता की लौ जगाई। आज जब हम हिंदी का महत्व समझते हैं, तो यह याद रखना आवश्यक है कि यह भाषा उस संघर्ष की स्मृति है जिसने हमें आज़ाद भारत का सपना देखने और उसे साकार करने की शक्ति दी।

**चंद्रिका प्रसाद सिंह**
मुख्य प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

# मेरी संगिनी

तेरी बाहों में आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूं ।
कभी सपने सजाता हूं, कभी मैं मुस्कुराता हूं।

तेरे नैनों के प्यालों से मैं अपनी प्यास बुझाता हूं,
नशीली तेरी आंखों में, मैं अक्सर डूब जाता हूं।

तेरे होठों की चिंगारी से रोशन जिंदगानी है।
बाती है तू दीपक की, तू ही मेरी कहानी है।

तेरी जुल्फों की खुशबू से, मैं फूलों सा महकता हूं।
तेरे केशों की शोभा में, मैं खुद गजरा बन जाता हूं।

कभी आशिक कहलाता हूं कभी रोमियो बन जाता हूं।

लक्ष्मी है मेरे घर की मेरा वो, घर बनाती है।
कभी जो रूठ जाए तो, लक्ष्मी बम बन जाती है।
फिर, उसके रूठने पर,
धारा में भार है जितना, मैं उतना गम उठाता हूं।
कभी सर को खुजाता हूं। कभी आंसू बहाता हूं।

कभी पपिया बनूं जो मैं, वो स्वाति बूंद बन जाती है।
मेरे तन को भिगाती है, मेरे मन में समाती है।

कभी जो हार (थक) कर आए तो उसका सर दबाता हूं।
कभी चाय बनाता हूं कभी गाना सुनाता हूं।

संस्कारों से वो अपने, बड़ों का लाड़ पाती है।
कभी लाडो कहलाती है, कभी बिटिया बन जाती है।

मेरी बेरंग दुनिया में तू सातों रंग ले आई।
बरखा की तरसती भू को मेघों की खुशी छाई।

चमकती धूप के जैसी बिखरती मन के सागर में।
मेरी तू मोहिनी जैसी, पिला दे अमृत गागर में।

मेरे घर आज जो जन्मा वह खुशियों का फरिश्ता है।

पकड़ कर हाथ जो देखा, लगा जन्मों का रिश्ता है ।

धरती से फलक तक यह खुशी सब ने मनाई है।
मेरी बेटी जो आई है तेरी परछाई लाई है।

रहे सब साथ में मिलकर जैसे माला में मोती।

मैं रागों, से सजा नगमा, तू मेरी बांसुरी होती,
मैं रागों, से सजा नगमा तू मेरी बांसुरी होती।

**प्रदीप शर्मा**
वरिष्ठ प्रबंधक
केन्द्रीय कार्यालय

# माँ: प्यार की सबसे ख़ूबसूरत परिभाषा

जिसका प्यार हमारे लिए कभी नहीं बदलता,
जो हमारी तारीफ़ करने से कभी नहीं थकती,
जिनकी आँखों से सदैव हमारे लिए गर्व और प्यार झलकता है,
जिनकी विशालता हमारी सारी गलतियों को समेट लेती है,
जो हमारी एक ख़ुशी के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाती है,

जिनके पकवानों में स्वाद कम-ज़्यादा हो सकता है पर प्यार नहीं,
जो हमारी शरारतों पर फटकार तो देती है,
फिर अकेले में खुद रो देती है,
जिनकी डांट में भी ढेर सारा प्यार छुपा हो,

दुनिया की हर चुनौती का सामना करने की ताकत दे
उनके आशीर्वाद में ऐसी अद्भुत शक्ति है,

जिनको ज़िंदगी के सफ़र में कभी हम भूल जाते हैं,
नए रिश्तों के आने से पुराने को नज़रअंदाज़ कर देते हैं,
फिर भी जो हर वक़्त हमारी तरक्की का इंतज़ार करती है
जो परछाई बनकर हर क़दम हमारे साथ चलती है,
जो हमारी एक मुस्कान के लिए अपनी सारी ख़ुशियाँ बिना
हिचकिचाये लुटा सकती है।

वो कोई और कैसे हो सकती है,
वो तो सृष्टि के रचयिता की सबसे नायाब रचना है,
वो तो हम सबकी माँ है, प्यारी माँ।

माँ के बिना अधूरा महसूस करती हूँ,
उस पार जब कभी मिलूँगी उनसे,
पूरी तब हो जाऊँगी मैं फिरसे।

**प्रिया सुधीर**
वरिष्ठ प्रबंधक (पीए टू एमडी एवं सीईओ)
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

# पुरुष के आँसू

भावनाओं का सबसे शुद्धतम रूप हैं - पुरुष के आँसू। क्योंकि ये आँसू तब बहते हैं, जब उसके दिल में भावनाओं का तीव्र ज्वार उठता है।

जब भावनाओं का यह ज्वार समाज की सारी सीमाएँ लाँघ जाता है - वही समाज, जो उसे बचपन से सिखाता आया है कि ''तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि रोना कमजोरी की निशानी है।''

जो पुरुष सारी उम्र स्वयं को शक्तिशाली दिखाने के लिए अपने आँसू छिपाए रहता है, यदि वही पुरुष किसी के सामने फूट-फूट कर रो पड़ता है,

तो वह उसकी पवित्र भावनाओं के सिवाय कुछ और नहीं होता। वह तभी रो पाता है जब उसकी भावनाएँ उसे ऐसा करने पर विवश कर देती हैं।

यूं तो समाज हमेशा से ही पुरुष के रोने को रोकता आया है - वो रोना, जो भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे शुद्ध रूप है।

किन्तु पुरुष के आँसूओं में एक विशेष बात यह होती है कि उनमें बनावट का कोई अंश नहीं होता।

पुरुष सामान्यत: अपनी भावनाओं में मिलावट और बनावट के लिए जाना जाता है। वह बनावटी प्रेम कर सकता है, बनावटी रिश्ते निभा सकता है,

बनावटी हँसी हँस सकता है, और बनावटी गुस्सा भी कर सकता है;पर वह बनावटी आँसू नहीं बहा सकता।

क्योंकि आँसुओं पर उसका ऐसा नियंत्रण संभव ही नहीं।

आँसू और पुरुष के बीच बहुत कमजोर रिश्ता होता है, क्योंकि एक बच्चे के पुरुष बनने के बाद बहुत कम ही अवसर आते हैं जब इन दोनों का मिलन होता है। इसी कारण जब पुरुष रोता है, तो उसका निहितार्थ बहुत गहरा होता है।

सामान्यत: पुरुष तब रोता है जब वह अकेला होता है - या फिर केवल उनके सामने, जिन्हें वह अपने सबसे क़रीब मानता है।

यदि कोई यह जानना चाहे कि कोई पति, बेटा या भाई उसे अपने दिल के कितने करीब मानता है,

तो वह उसके आँसुओं को उसका सबसे सच्चा प्रमाण मान सकता है।

यदि कोई पुरुष किसी के सामने रोता है, तो यह इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति उसके दिल के अत्यंत करीब है।

वास्तव में वह रोकर उस व्यक्ति से उस व्यवहार, प्रेम और अपनापन की अपेक्षा करता है, जिसके अभाव में वह टूट जाता है।

यह वह क्षण होता है जब उसे उस प्यार, विश्वास और सहारे की आवश्यकता होती है, जो केवल वही व्यक्ति दे सकता है,

जिसके सामने वह रोया है। यदि उस पल वह व्यक्ति उसे गले लगाकर दिलासा दे दे, तो उनके बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता बन जाता है जिसकी कोई सीमा या परिभाषा नहीं।

पर यदि उसी क्षण उसे यह महसूस हो जाए कि जिसके सामने वह रोया, उसे उसके आँसुओं की कद्र नहीं -

तो उनके रिश्ते के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है, जो शायद कभी मिट नहीं पाती...



**गोलू गौर**
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, छिन्दवाड़ा

# सोशल मीडिया का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव

वर्तमान युग को यदि डिजिटल युग कहा जाए तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। इंटरनेट और स्मार्टफोन की क्रांति ने मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस डिजिटल परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम सोशल मीडिया बनकर उभरा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सऐप, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन, सामाजिक संबंधों, कार्य संस्कृति और कार्यालयीन व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।

सोशल मीडिया ने जहां संचार को आसान, तेज़ और वैश्विक बनाया है, वहीं इसके अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग ने कई सामाजिक, मानसिक और व्यावसायिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। सोशल मीडिया ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से लोग विचारों, सूचनाओं, चित्रों, वीडियो और अनुभवों को साझा करते हैं तथा आपस में संवाद स्थापित करते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में ऑर्कुट और मायस्पेस जैसे प्लेटफॉर्म से शुरू हुई यह यात्रा आज अत्यंत उन्नत और प्रभावशाली रूप ले चुकी है।

भारत जैसे विकासशील देश में सोशल मीडिया का विस्तार विशेष रूप से तेज़ रहा है। सस्ते डेटा प्लान और स्मार्टफोन की उपलब्धता ने इसे जन-जन तक पहुँचा दिया है। आज विद्यार्थी, गृहिणी, कर्मचारी, व्यवसायी और अधिकारी, सभी किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं।

सोशल मीडिया ने संचार की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ दिया है। अब संदेश, वीडियो कॉल या ईमेल के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाए जा सकते हैं। पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने, पुराने मित्रों से जुड़ने और नए लोगों से संवाद स्थापित करने में सोशल मीडिया अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है।

आज समाचार पत्र या टीवी पर निर्भरता कम होती जा रही है। सोशल मीडिया पर समाचार, शैक्षणिक सामग्री, शोध, सरकारी योजनाएँ और जागरूकता अभियान तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं, वेबिनार और शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं।

मनोरंजन के क्षेत्र में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट वीडियो, मीम्स, रील्स, वेब सीरीज़ और लाइव स्ट्रीमिंग ने लोगों के तनाव को कम करने में सहायता की है। यह मानसिक विश्राम का एक सुलभ माध्यम बन गया है।

सोशल मीडिया ने सामाजिक मुद्दों को आवाज़ देने का मंच प्रदान किया है। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोध, स्वास्थ्य जागरूकता जैसे अभियानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक समर्थन प्राप्त किया है। आम नागरिक भी अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख सकता है।

सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। लोग अनजाने में घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं, जिससे उत्पादकता में कमी आती है। यह आदत धीरे-धीरे डिजिटल लत का रूप ले लेती है। लगातार तुलना, लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़, फेक परफेक्शन और ट्रोलिंग के कारण तनाव, अवसाद, चिंता और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएँ विशेषकर युवाओं में उत्पन्न हो रही हैं।

सोशल मीडिया ने भौतिक संवाद को कम कर दिया है। परिवार के सदस्य एक ही घर में होते हुए भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे भावनात्मक दूरी बढ़ रही है। व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग, साइबर अपराध, फेक न्यूज़ और ऑनलाइन धोखाधड़ी सोशल मीडिया के गंभीर नकारात्मक पहलू हैं। कई बार लोग अनजाने में अपनी निजता को खतरे में डाल देते हैं। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म ने पेशेवर जीवन को नई दिशा दी है। नौकरी के अवसर, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री अपडेट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

व्हाट्सऐप, स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे सोशल टूल्स ने कार्यालयी संचार को तेज़ और प्रभावी बनाया है। रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को सफल बनाने में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है।कंपनियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ब्रांड को बढ़ावा दे रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक सेवा और फीडबैक सिस्टम पहले से अधिक सशक्त हो गए हैं।

सोशल मीडिया के जरिए कर्मचारी नए विचारों, तकनीकों और वैश्विक ट्रेंड्स से अवगत होते हैं, जिससे नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ़ कार्य समय में सोशल मीडिया का अनावश्यक उपयोग कर्मचारियों के ध्यान को भंग करता है, जिससे कार्यक्षमता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। कार्यालयीन जानकारी का लीक होना, अनजाने में संवेदनशील डेटा साझा करना संस्थानों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। सोशल मीडिया पर अनुचित या गैर-पेशेवर गतिविधियाँ व्यक्ति की प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जिसका प्रभाव करियर पर भी पड़ सकता है।

सोशल मीडिया को न तो पूरी तरह त्यागा जा सकता है और न ही इसके दुष्प्रभावों की अनदेखी की जा सकती है। आवश्यक है कि इसका संतुलित और जिम्मेदार उपयोग किया जाए।

**इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :**

- समय सीमा निर्धारित करें।
- कार्य और निजी जीवन में स्पष्ट अंतर बनाए रखें।
- विश्वसनीय जानकारी को ही साझा करें।
- डिजिटल डिटॉक्स अपनाना सुनिश्चित करें।

- साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें।
- बच्चों और युवाओं को सही मार्गदर्शन दें।

सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार के समान है। इसका प्रभाव हमारे दैनिक और कार्यालयी जीवन पर गहरा और व्यापक है। सही उपयोग से यह जीवन को सरल, सशक्त और समृद्ध बना सकता है, वहीं गलत और अत्यधिक उपयोग से यह मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक समस्याओं का कारण बन सकता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि हम सोशल मीडिया को अपने जीवन का स्वामी नहीं, बल्कि साधन बनाएं। संतुलन, विवेक और जागरूकता के साथ किया गया इसका उपयोग ही हमें डिजिटल युग में एक स्वस्थ, सफल और संतुलित जीवन प्रदान कर सकता है।

**राकेश कुमार सिंह**
क्षेत्रीय प्रमुख
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

# बैंकिंग में सुरक्षा अधिकारी का महत्व एवं सुरक्षा के नियम व उपाय

बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बैंक न केवल धन का लेन-देन करते हैं, बल्कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों और डिजिटल डेटा का भी संरक्षण करते हैं। ऐसे में सुरक्षा अधिकारी बैंक की समग्र सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं।

सुरक्षा अधिकारी का प्रमुख दायित्व बैंक परिसर, कर्मचारियों, ग्राहकों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। वे बैंक शाखा में प्रवेश-निकास पर निगरानी रखते हैं, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करते हैं। इससे चोरी, डकैती, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक घटनाओं की संभावना कम होती है।

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दौर में सुरक्षा अधिकारी की भूमिका और भी व्यापक हो गई है। वे साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के प्रति सतर्क रहते हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करते हैं तथा कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी जागरूकता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, नकदी प्रबंधन, एटीएम सुरक्षा और आपदा प्रबंधन योजनाओं में भी उनकी अहम भूमिका होती है।

कुल मिलाकर, सुरक्षा अधिकारी बैंक में विश्वास, अनुशासन और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी सतर्कता और जिम्मेदारी के कारण ही बैंकिंग व्यवस्था सुचारू, सुरक्षित और विश्वसनीय बनी रहती है।

## बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा हेतु नियम व उपाय

बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि बैंक जनता की जमा पूंजी, गोपनीय सूचनाओं और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का संरक्षण करते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों में विभिन्न नियमों और उपायों को अपनाया जाता है, जिनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है।

1. **भौतिक सुरक्षा**

   बैंक शाखाओं में प्रशिक्षित सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति, प्रवेश-निकास पर नियंत्रण, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, अलार्म सिस्टम और मजबूत तिजोरियों का उपयोग किया जाता है। नकदी के परिवहन के दौरान सुरक्षा वाहन और सशस्त्र गार्ड की व्यवस्था भी की जाती है।

2. **पहचान और प्रवेश नियंत्रण**

   ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए निर्धारित स्पष्ट प्रवेश नियम, पहचान पत्रों की अनिवार्यता, विज़िटर रजिस्टर का सुव्यवस्थित रख-रखाव तथा संवेदनशील एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों में सीमित और नियंत्रित प्रवेश की व्यवस्था बैंक परिसर में अनुशासन बनाए रखने के साथ-साथ समग्र सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाती है।

3. **नकदी एवं लॉकर सुरक्षा**

   नकदी के सुरक्षित भंडारण हेतु मजबूत तिजोरियों का उपयोग किया जाता है, दोहरी चाबी प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाता है, निर्धारित समयांतराल पर नकदी का नियमित मिलान किया जाता है तथा लॉकर संचालन के लिए स्पष्ट, सुव्यवस्थित और प्रलेखित नियम बनाए जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता, त्रुटि या दुरुपयोग की संभावना न रहे।

4. **आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन**

   आग, प्राकृतिक आपदाओं अथवा आपराधिक घटनाओं जैसी आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु समुचित आपातकालीन योजनाएँ तैयार की जाती हैं, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और नियमित जाँच सुनिश्चित की जाती है, समय-समय पर मॉकड्रिल आयोजित की जाती हैं तथा कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और सुव्यवस्थित कार्रवाई की जा सके।

5. **नियमों का पालन एवं प्रशिक्षण**

   आरबीआई तथा बैंक प्रबंधन द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशानिर्देशों का कड़ाई से एवं निरंतर पालन सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही, समय-समय पर कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे उनकी सतर्कता, पेशेवर दक्षता और आपात परिस्थितियों से निपटने की क्षमता में निरंतर वृद्धि हो सके।

**निष्कर्षत:** बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा हेतु बनाए गए नियम और उपाय न केवल धन और संपत्ति की रक्षा करते हैं, बल्कि ग्राहकों के विश्वास को भी बनाए रखते हैं। इनका प्रभावी क्रियान्वयन ही एक सुरक्षित और मजबूत बैंकिंग प्रणाली की आधारशिला है।

**धर्मेन्द्र कुमार चौधरी**
प्रबंधक (सुरक्षा)
क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़

# केन्द्रीय कार्यालय मुंबई में
# पुरस्कार वितरण स

# आयोजित हिन्दी दिवस एवं मारोह की झलकियां।

# अपेक्षित क्रेडिट लॉस ढांचा: भारतीय बैंकों की लाभप्रदता और व्यवहार्यता पर प्रभाव

## परिचय

अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) ढांचे की शुरूआत वित्तीय रिपोर्टिंग में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती है, यह विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करती है। यह शोध पत्र भारतीय बैंकों की लाभप्रदता और व्यवहार्यता पर ईसीएल ढांचे के प्रभावों की पड़ताल करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक 9 (आईएफआरएस 9) द्वारा समर्थित ईसीएल मॉडल, बैंकों को वित्तीय साधनों, ऋणों और अन्य जोखिमों पर अपेक्षित क्रेडिट हानियों का अनुमान लगाने के लिए अनिवार्य करता है। यह अग्रदर्शी दृष्टिकोण उस पूर्व में उपयोग किए गए हानि मॉडल से एक प्रस्थान है, जो केवल तब हानियों को मान्यता देता था जब वे निश्चित रूप से होने वाली थीं।

## ईसीएल ढांचे का अवलोकन:-

### सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

ईसीएल ढांचा अग्रदर्शी प्रावधान के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ववर्ती हानि मॉडल के विपरीत, जो केवल उन हानियों के लिए जिम्मेदार होता है जो पहले ही हो चुकी थीं, ईसीएल मॉडल बैंकों को ऋणों की आयु के दौरान संभावित क्रेडिट हानियों का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक बनाता है। यह पद्धति बैंकों की वित्तीय स्थिति का अधिक सटीक चित्रण और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

ईसीएल ढांचे में बैंकों से उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों को तीन चरणों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक के लिए अलग-अलग स्तर के प्रावधान की मांग होती है। चरण 1 में उन परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, जिसके लिए 12 महीने के अपेक्षित हानि प्रावधान की आवश्यकता होती है। चरण 2 में उन परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनमें महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम वृद्धि है लेकिन अभी तक हानि नहीं हुई है, जिसके लिए जीवनकाल के लिए अपेक्षित हानि प्रावधान की आवश्यकता होती है। चरण 3 में क्रेडिट-हानि वाली परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है, जिसके लिए भी जीवनकाल के लिए अपेक्षित हानि प्रावधान की आवश्यकता होती है।

## भारत में कार्यान्वयन:-

भारत में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए ईसीएल ढांचे को अपनाने का आदेश दिया है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित होती है और बैंकिंग क्षेत्र की पारदर्शिता और मजबूती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। ईसीएल मॉडल को लागू करना, हालांकि, भारतीय बैंकों के लिए विभिन्न चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करता है।

## लाभप्रदता पर प्रभाव:-

### प्रावधान लागत में वृद्धि

ईसीएल ढांचे का लाभप्रदता पर तत्काल परिणाम प्रावधान लागत में वृद्धि है। बैंकों को अब संभावित क्रेडिट हानियों के लिए बड़े भंडार आवंटित करने की आवश्यकता होती है, जो उनके निचले स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। क्रेडिट हानियों की यह अग्रिम मान्यता अल्पकालिक लाभप्रदता को कम कर सकती है, जबकि बैंक के नए प्रावधान आवश्यकताओं के अनुकूल हो जाते हैं।

### दीर्घकालिक लाभप्रदता

प्रारंभिक वित्तीय दबाव के बावजूद, ईसीएल ढांचा दीर्घकालिक लाभप्रदता में सुधार कर सकता है। सतर्क जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देकर, बैंक अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की घटनाओं को कम कर सकते हैं। यह सक्रिय प्रबंधन समय के साथ अधिक स्थिर और स्थायी वित्तीय प्रदर्शन में बदल सकता है।

### ऋण प्रथाओं पर प्रभाव

ईसीएल ढांचा ऋण प्रथाओं को भी प्रभावित करता है। बैंक उच्चतर जोखिम वाले उधारकर्ताओं के लिए विशेष रूप से क्रेडिट विस्तार में अधिक सतर्क हो सकते हैं। जबकि यह सतर्क दृष्टिकोण विकास के अवसरों को सीमित कर सकता है, यह महत्वपूर्ण हानियों के जोखिम को भी कम कर सकता है, इस प्रकार यह लाभप्रदता को संरक्षित करता है। ढांचा बैंकों को उनकी क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह

सुनिश्चित करता है कि केवल उचित क्रेडिट योग्यता के साथ उधारकर्ताओं को ऋण प्राप्त हो।

## व्यवहार्यता पर प्रभाव:-

### उन्नत जोखिम प्रबंधन

ईसीएल ढांचा उन्नत जोखिम प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देता है। बैंकों को अधिक व्यापक तरीके से क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, यह जटिल जोखिम मूल्यांकन उपकरण और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आर्थिक मंदी और बाहरी झटकों के प्रति उनकी भेद्यता को कम करके बैंकों की समग्र व्यवहार्यता को मजबूत कर सकता है।

### पूंजी पर्याप्तता

ईसीएल मॉडल बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को प्रभावित कर सकता है। प्रावधान आवश्यकताओं में वृद्धि के लिए बैंकों को नियामक अनुपालन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता हो सकती है। यह विशेष रूप से छोटे बैंकों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है जिनकी पूंजी बाजारों तक सीमित पहुंच होती है, लेकिन यह पूंजी संरचनाओं को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी कार्य कर सकता है।

### प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता

ईसीएल ढांचे के संक्रमण से बैंकिंग क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता भी बदल सकती है। उन्नत जोखिम प्रबंधन क्षमताओं वाले बड़े बैंक नई आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकते हैं, जबकि छोटे बैंकों को बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यह क्षेत्र के भीतर समेकन का परिणाम हो सकता है, क्योंकि बैंक पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने की कोशिश करते हैं।

## चुनौतियाँ और अवसर:-

### चुनौतियाँ

1. डेटा आवश्यकताएँ: ईसीएल ढांचे को लागू करना व्यापक ऐतिहासिक डेटा और उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की मांग करता है। कई भारतीय बैंक इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपग्रेड करने में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सटीक और व्यापक डेटा संग्रह और विश्लेषण की आवश्यकता प्रभावी ईसीएल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

2. नियामक अनुपालन: ईसीएल ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करना जटिल नियामक आवश्यकताओं में शामिल है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और विकास में निवेश करना चाहिए कि उनका स्टाफ इन परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सुसज्जित है। इसमें ईसीएल अनुपालन की देखरेख के लिए संगठन के भीतर नई भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ बनाना शामिल हो सकता है।

3. बाजार धारणा: ईसीएल मॉडल की ओर बदलाव से बैंकों की बाजार धारणा प्रभावित हो सकती है। बढ़े हुए प्रावधान परिसंपत्ति गुणवत्ता के बारे में चिंताओं को जन्म दे सकते हैं, जिससे निवेशक का विश्वास प्रभावित हो सकता है। बैंकों को उम्मीदों का प्रबंधन करने और विश्वास बनाए रखने के लिए हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना चाहिए।

### अवसर

1. बेहतर क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन: ईसीएल ढांचा बैंकों को अधिक सटीक क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे बेहतर सूचित ऋण निर्णय और क्रेडिट जोखिम के लिए कम जोखिम हो सकता है। उन्नत विश्लेषण और जोखिम मॉडलिंग में निवेश करके, बैंक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

2. मजबूत वित्तीय स्थिरता: सक्रिय जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देकर, ईसीएल ढांचा वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता को बढ़ा सकता है। इससे एक अधिक लचीले बैंकिंग क्षेत्र में योगदान हो सकता है, जो आर्थिक झटकों का सामना करने और वित्तीय सेवाओं में निरंतरता बनाए रखने में सक्षम है।

3. वित्तीय उत्पादों में नवाचार: ईसीएल मॉडल वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को प्रेरित कर सकता है। बैंक उधारकर्ताओं के विकसित जोखिम प्रोफाइल को पूरा करने वाले नए प्रसाद विकसित कर सकते हैं, इस प्रकार उनके बाजार पहुंच का विस्तार कर सकते हैं और ग्राहक संतुष्टिको बढ़ा सकते हैं।

## केस स्टडीज

### केस स्टडी 1: बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक

बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ईसीएल ढांचे में परिवर्तन का गहन विश्लेषण कार्यान्वयन के दौरान सामना की गई चुनौतियों और अवसरों का खुलासा करता है। बैंक ने अपने आईटी अवसंरचना और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को उन्नत करने में महत्वपूर्ण निवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन में सुधार हुआ और वित्तीय

प्रदर्शन में वृद्धि हुई। यह केस स्टडी प्रौद्योगिकी और मानव पूंजी में रणनीतिक निवेश के महत्व पर प्रकाश डालती है।

### केस स्टडी 2: छोटे निजी क्षेत्र का बैंक

एक छोटे निजी क्षेत्र के बैंक ने सीमित संसाधनों के कारण ईसीएल आवश्यकताओं के अनुकूल होने में काफी चुनौतियों का सामना किया। हालांकि, फिनटेक कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारियों ने बैंक को उन्नत विश्लेषण और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में सुधार हुआ। यह केस स्टडी संसाधन बाधाओं को दूर करने में सहयोग और नवाचार की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

## निष्कर्ष

ईसीएल ढांचे को अपनाना भारतीय बैंकों के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। जबकि बढ़े हुए प्रावधान आवश्यकताओं से अल्पकालिक लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता में सुधार के दीर्घकालिक लाभ महत्वपूर्ण हैं। ईसीएल मॉडल को अपनाकर, भारतीय बैंक एक तेजी से जटिल वित्तीय परिदृश्य में अपने लचीलेपन और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं।

## सिफारिशें

1. प्रौद्योगिकी में निवेश करें: बैंक ईसीएल ढांचे को प्रभावी ढंग से लागू करने और जोखिम मूल्यांकन क्षमताओं में सुधार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और डेटा विश्लेषण में निवेश करें। आईटी प्रणालियों को अपग्रेड करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग उपकरणों को अपनाना भविष्यसूचक मॉडलिंग और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ा सकता है।
2. प्रशिक्षण बढ़ाएँ: बैंकिंग पेशेवरों को ईसीएल मॉडल में बदलाव का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। लगातार सीखने और विकास की पहल यह सुनिश्चित कर सकती है कि कर्मचारी विकसित हो रही नियामक आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकार बने रहें।
3. रणनीतिक साझेदारियाँ: फिनटेक फर्मों के साथ सहयोग बैंकों को नवीन समाधानों और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि तक पहुँच प्रदान कर सकता है, ईसीएल ढांचे में एक सहज परिवर्तन की सुविधा प्रदान कर सकता है। रणनीतिक साझेदारियाँ विकास और सेवाओं के विविधीकरण के लिए नए रास्ते भी खोल सकती हैं।
4. नियामक संवाद: नियामक अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद बैंकों को अनुपालन चुनौतियों को संबोधित करने और ईसीएल ढांचे के व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। बैंकों और नियामकों के बीच खुले संचार चैनल आपसी समझ और समर्थन को बढ़ावा दे सकते हैं।

अंत में, ईसीएल ढांचा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करता है। यद्यपि इससे अल्पकाल में लाभप्रदता पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन बेहतर जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी निवेश और क्षमता निर्माण के माध्यम से बैंक दीर्घकाल में अधिक मजबूत, लचीले और प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं।

**स्वेता सिन्हा**
संकाय प्रमुख
ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र, पटना

# क्षमता निर्माण: विकास की नई दिशा

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विकास की अवधारणा केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं रह गई है। आज विकास का अर्थ है- मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अवसरों की समान उपलब्धता, आत्मनिर्भरता और सतत प्रगति। इसी व्यापक सोच के केंद्र में क्षमता निर्माण की अवधारणा उभरकर सामने आती है। क्षमता निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति, संस्थान और समाज अपने ज्ञान, कौशल, संसाधनों और क्षमताओं का विकास कर अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। यह विकास की एक नई और सशक्त दिशा है, जो दीर्घकालिक और समावेशी प्रगति का आधार बनती है।

क्षमता निर्माण का आशय केवल प्रशिक्षण या शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है। इसमें व्यक्तियों की दक्षताओं का विकास, संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना, नीतिगत सुधार और संसाधनों का कुशल प्रबंधन शामिल होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो क्षमता निर्माण लोगों में वह कला विकसित करने की प्रक्रिया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

विकास तभी स्थायी होता है जब वह लोगों की क्षमताओं को बढ़ाए। यदि किसी देश में आधुनिक अवसंरचना, तकनीक और संसाधन हों, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए कुशल मानव संसाधन न हों, तो विकास अधूरा रह जाता है। इसलिए क्षमता निर्माण को विकास की रीढ़ कहा जा सकता है। शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता और नेतृत्व क्षमता, ये सभी विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। अत: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन का कहना है **''विकास का वास्तविक अर्थ लोगों की क्षमताओं का विस्तार है, न कि केवल आय में वृद्धि।''** यह परिभाषा क्षमता निर्माण को मानव विकास की नई परिभाषा देता है।

मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है। डॉ.ए. पी. जे अब्दुल कलाम के अनुसार **''यदि हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो युवाओं में कौशल, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता विकसित करनी होगी।''** उनके विचार में क्षमता निर्माण राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है। भारत जैसे युवा देश के लिए क्षमता निर्माण विशेष महत्व रखता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम और निरंतर सीखने की संस्कृति युवाओं को रोजगार योग्य बनाती है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलें इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता, तकनीकी दक्षता और नवाचार की क्षमता विकसित करना है।

केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि संस्थानों की क्षमता भी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मजबूत प्रशासनिक ढांचा, पारदर्शी प्रक्रियाएं, जवाबदेहीता और कुशल प्रबंधन संस्थागत क्षमता निर्माण के प्रमुख आयाम हैं। सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों में क्षमता निर्माण से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता है।

ग्रामीण विकास के संदर्भ में क्षमता निर्माण की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण समुदायों को यदि तकनीकी ज्ञान, वित्तीय साक्षरता, कृषि कौशल और उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सामुदायिक क्षमता निर्माण के सशक्त उदाहरण हैं। इससे न केवल आय में वृद्धि होती है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण भी होता है।

विकास की नई दिशा में महिला क्षमता निर्माण का विशेष स्थान है। शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो पूरा परिवार और समाज प्रगति करता है। आज अनेक योजनाएं महिलाओं को उद्यमी बनाने और नेतृत्व की भूमिका में लाने का प्रयास कर रही हैं, जो समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

डिजिटल क्रांति ने क्षमता निर्माण के नए अवसर खोले हैं। ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण और सूचना तक आसान पहुंच ने सीखने की प्रक्रिया को सरल और व्यापक बना दिया है। डिजिटल साक्षरता आज विकास की अनिवार्य शर्त बन चुकी है। तकनीक के सही उपयोग से शासन,

शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार, सभी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को नई गति मिली है।

प्रसिद्ध विद्वान पीटर ड्रकर का कहना है ''किसी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। उनकी क्षमताओं का निरंतर विकास ही संगठन को दीर्घकालिक सफलता दिलाता है।" ड्रकर के अनुसार क्षमता निर्माण मानव संसाधन के सतत विकास से जुड़ा है। सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में क्षमता निर्माण की केंद्रीय भूमिका है। पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जागरूकता और तकनीकी क्षमता दोनों की आवश्यकता है। जब समुदायों और संस्थानों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की क्षमता विकसित होती है, तभी संतुलित और दीर्घकालिक विकास संभव हो पाता है।

क्षमता निर्माण के मार्ग में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे संसाधनों की कमी, गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण का अभाव, क्षेत्रीय असमानताएं और तकनीकी पहुंच की सीमाएं। इन चुनौतियों का समाधान समन्वित प्रयासों से संभव है। सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान और नागरिक समाज के बीच साझेदारी से क्षमता निर्माण को व्यापक और प्रभावी बनाया जा सकता है।

किसी भी संस्था के कर्मचारियों को नई तकनीक सिखाने, उसका उपयोग करने और दैनिक कार्यों को करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। हमारे बैंक के ज्ञानार्जन एवं विकास केन्द्रों द्वारा इस क्षेत्र में निरंतर बेहतर कार्य किये जा रहे हैं। स्टाफ सदस्यों के कौशल को विकसित करने से लेकर नये परिवर्तनों से परिचित करवाने तथा उनके उपयोग के बारे में अवगत कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि क्षमता निर्माण विकास की नई और आवश्यक दिशा है। यह न केवल वर्तमान की समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी समाज को तैयार करता है। जब व्यक्ति सक्षम, संस्थान मजबूत और समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं, तभी राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए विकास की किसी भी योजना के केंद्र में क्षमता निर्माण को रखना समय की मांग है। यही वह मार्ग है जो समावेशी, सतत और सशक्त विकास की ओर ले जाता है।

**रोली गुप्ता**
सहायक प्रबंधक
आंचलिक कार्यालय रायपुर

**भारतीय संविधान के भाग 5 (120), भाग 6 (210) और भाग 17 (343 से 351) में संघ की राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध किए गए हैं.**

**संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है.**

**संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है.**

**संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा नीति संबंधी निदेश दिए गए हैं.**

**संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी.**

# देवनागरी की दो धाराएँ : हिंदी और मराठी का साझा प्रवाह

भारत की भाषायी विरासत विश्व में अद्वितीय है। इसी विविध संस्कृति के मध्य हिंदी और मराठी दो ऐसी प्रमुख भाषाएं हैं जो भाषाई, सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक दृष्टि से एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, दोनों का मूल आधार संस्कृत है, दोनों ही करोड़ों लोगों की मातृभाषा या संपर्क भाषा हैं, और दोनों भारतीय समाज के बौद्धिक तथा सांस्कृतिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

## 1. ऐतिहासिक और भाषाई आधार

**हिंदी**

हिंदी का विकास प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ और समय के साथ यह उत्तर भारत की संपर्क-भाषा बन गई। इसकी अनेक बोलियाँ और साहित्यिक परंपराएँ इसे विशाल रूप प्रदान करती हैं।

**मराठी**

मराठी भाषा महाराष्ट्रीय प्राकृत से विकसित हुई और 8वीं सदी से आज तक इसका समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। संत परंपरा और लोक कला ने इसे एक विशिष्ट पहचान दी।

दोनों भाषाओं की मूल जड़ संस्कृत है, इसलिए इनकी शब्दावली, ध्वनियाँ और व्याकरण में अनेक समानताएँ स्वाभाविक रूप से दिखाई देती हैं।

## 2. हिंदी और मराठी का सांस्कृतिक व सामाजिक संबंध

हिंदी और मराठी के बीच का संबंध केवल भाषाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है।

दोनों प्रदेश एक-दूसरे की सीमाओं से जुड़े हैं। विदर्भ और मध्यप्रदेश के क्षेत्रों में दोनों भाषाएँ साथ-साथ बोली और समझी जाती हैं।

धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं, लोकगीतों और भक्ति परंपरा में दोनों भाषाओं पर संस्कृत का समान प्रभाव दिखाई देता है।

दोनों समुदायों में पारिवारिक संबोधन, अभिवादन और संस्कृतनिष्ठ शब्दों का व्यापक उपयोग समानता का आधार बनाते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर नागपुर, अमरावती, अकोला, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि में दोनों भाषाओं के वक्ताओं का गहरा अंर्तसंबंध है।

## 3. साहित्यिक और बौद्धिक आदान-प्रदान

हिंदी और मराठी साहित्य एक-दूसरे से लंबे समय से प्रेरित होते रहे हैं।

संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम की रचनाएँ हिंदी संत-काव्य को प्रभावित करती हैं।

हिंदी के भक्तिकाल और मराठी के अभंग-साहित्य में आध्यात्मिकता, नैतिकता और मानवता के समान स्वर मिलते हैं।

आधुनिक साहित्य में भी दोनों भाषाओं के नाटक, उपन्यास और कहानियों का परस्पर अनुवाद बड़े पैमाने पर हुआ है।

महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदी साहित्यकार और मध्यप्रदेश में बसे मराठी साहित्यकार दोनों भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं।

हिंदी-मराठी साहित्यिक संवाद दोनों भाषाओं की संयुक्त शक्ति को दर्शाता है।

## 4. प्रशासन, शिक्षा और मीडिया में संबंध

महाराष्ट्र में हिंदी का व्यापक प्रसार है और राज्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय प्रमुख रूप से पढ़ाया जाता है।

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरी भारत में मराठी भाषी समुदाय बड़े पैमाने पर मौजूद हैं।

हिंदी टीवी चैनल, मराठी फ़िल्म उद्योग और सोशल मीडिया दोनों भाषाओं को एक-दूसरे के करीब ला रहा है।

बैंकिंग, प्रशासन और सरकारी योजनाओं में भी हिंदी और मराठी दोनों का समन्वित उपयोग बढ़ रहा है।

दोनों भाषाएँ भारत के प्रशासनिक तंत्र में एक-दूसरे को मजबूत करती हैं।

## 5. संबंधों से उभरती संभावनाएँ

हिंदी और मराठी के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भविष्य में कई महत्वपूर्ण संभावनाएँ पैदा करते हैं:

### (1) द्विभाषी शिक्षा और शोध

देवनागरी आधारित द्विभाषी अध्ययन बड़े स्तर पर विकसित हो सकता है। युवा वर्ग दोनों भाषाएँ आसानी से सीख सकता है।

**(2) अनुवाद उद्योग का विस्तार**

मराठी साहित्य के हिंदी अनुवाद और हिंदी साहित्य के मराठी अनुवादों की माँग लगातार बढ़ रही है। यह भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक है।

**(3) व्यापार और रोजगार में वृद्धि**

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग द्विभाषी दक्षता की आवश्यकता बढ़ाता है। दोनों भाषाएँ जानने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

**(4) डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन**

ओटीटी, यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हिंदी-मराठी द्विभाषी कंटेंट की अत्यधिक मांग है। दोनों भाषाएँ मिलकर क्षेत्रीय डिजिटल कंटेंट की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं।

**(5) सांस्कृतिक और पर्यटन विकास**

गणेशोत्सव, संत परंपरा, विदर्भ संस्कृति, बुंदेलखंड एवं महाकौशल की लोक-परंपराएँ दोनों समाजों को जोड़ सकती हैं। सांस्कृतिक पर्यटन के लिए संयुक्त कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं।

हिंदी और मराठी केवल भाषाएँ नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की साझा सांस्कृतिक आत्मा के दो सशक्त स्वरूप हैं। दोनों भाषाओं की जड़ें संस्कृत में होने के कारण इनमें एक प्राकृतिक निकटता है, जिसने सदियों से इन्हें परस्पर सहयोगी और पूरक भूमिका में रखा है। यही कारण है कि हिंदी भाषी और मराठी भाषी समाजों के बीच संवाद, साहित्य, कला, व्यापार और प्रशासन हमेशा सहज और स्वाभाविक रूप से विकसित होते रहे हैं।

आज का समय भाषाओं की प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि सह-उत्कर्ष का है। ऐसे में हिंदी और मराठी दोनों का समानांतर विकास भारतीय बहुभाषिकता की सामूहिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। दोनों भाषाएँ नई पीढ़ी को इस बात का संदेश देती हैं कि भाषायी विविधता कोई बाधा नहीं, बल्कि संवाद, रोजगार, शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर हैं।

इस प्रकार, हिंदी और मराठी का भविष्य केवल उज्ज्वल ही नहीं, बल्कि भारतीय भाषायी नवजागरण का आधार बनने की क्षमता रखता है।

**आशीष आटे**
प्रबंधक - बीएसडी
क्षेत्रीय कार्यालय- छिन्दवाड़ा

**हमें यह साझा करते हुए अपार हर्ष और गर्व हो रहा है कि केन्द्रीय कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ प्रबंधक, श्री चंद्रकांत दलवी जी की सुपुत्री सानिका दलवी ने वास्तुकला स्नातक (Bachelor of Architecture) में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हम सानिका के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करते हैं और पूरे दलवी परिवार को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर अपनी हार्दिक बधाई देते हैं।**

# बैंकिंग में राजभाषा का महत्व

बैंक एक वाणिज्यिक संस्था है और व्यवसाय करने के लिए व्यापारी की कोई भाषा नहीं होती है, उसे अपना व्यवसाय करने के लिए वही भाषा बोलनी होती है जो उसका ग्राहक व जन सामान्य समझे. क्योंकि भाषा ही वह कड़ी होती है जो किसी व्यवसाय को उसके ग्राहकों से जोड़ती है - इस तथ्य को औपनिवेशिक भारत के पहले आधुनिक बैंक 'बैंक ऑफ हिंदुस्तान' की स्थापना करने वाली अलेक्ज़ेंडर एंड कंपनी भी नकार नहीं पायी थी और उन्होने बैंकिंग कामकाज के लिए अंग्रेजी के अलावा हिन्दी को भी अपनाया था, तब ऐसा करना किसी 'राजभाषा नीति' की विवशता नहीं बल्कि एक व्यावसायिक आवश्यकता थी. अर्थव्यवस्था आधुनिक विश्व की धुरी है. आज विश्व मंच पर किसी भी देश की साख, राजनीतिक या सैन्य शक्ति की बजाय उसकी आर्थिक सुदृढ़ता पर निर्भर करती है, क्रय शक्ति क्षमता के लिहाज से आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी व सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की दृष्टि से विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में उज्ज्वल स्थान माना है बहुभाषिक भारत में हिन्दी लोगों की संपर्क और व्यवहार की प्रधान भाषा थी इसलिए हिन्दी को ही वैश्विक बाजार ने अपनाया, तकनीकविदों ने व्याकरण की वैज्ञानिकता की दृष्टि से कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा संस्कृत को माना तो उच्चारण एवं लेखन में समानता के कारण सर्वाधिक उपयुक्त लिपि देवनागरी को. इस तरह हिन्दी भाषा ने बाजार और कंप्यूटर दोनों की भाषा के रूप में अपना सामर्थ्य सिद्ध किया है. आज के परिवेश में हिन्दी का दायरा बहुत बढ़ चुका है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में एवं सम्पूर्ण विश्व में एक प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में उभरी है.

भारतीय बैंकिंग उद्योग ने बदलते समय के साथ राष्ट्रीयकरण, नब्बे के दशक के आर्थिक उदारीकरण और नई सहस्त्राब्दी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के उद्घोष का दौर देखा है. बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, जिसके बाद बैंकों के द्वार आम जनता के लिए खोले गए। राष्ट्रीयकरण से बैंक सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में आ गए थे और संघ की राजभाषा होने के कारण इन बैंकों का हिन्दी में काम करना संवैधानिक दायित्व हो गया था. इसका लाभ यह हुआ कि दूर दराज के तथा बैंकिंग सुविधा से तब तक वंचित रहे लोगों से बैंक उन्हीं की भाषा में जुड़ने लगे.

नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों के रूप में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के उद्घोष ने भारतीय बैंकों के समक्ष की प्रतिस्पर्धा के युग का पदार्पण किया। यह प्रतिस्पर्धा बहुआयामी थी जो सेवा गुणवत्ता आधारित थी तो कुशलता आधारित भी, उत्पाद आधारित थी और मूल्य आधारित भी, प्रौद्योगिकी आधारित थी तो स्थितिजन्य सुविधा आधारित भी। अब बैंकों के समक्ष एक ओर शहरी तथा महानगरीय जनता की आवश्यकताएं थी तो दूसरी ओर ग्रामीण जनता की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व भी। तेजी से प्रगति करते बैंकिंग तंत्र को समझ में आने लगा था कि उत्पाद संबंधी सारी व्यवस्थाएँ और सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद ग्राहक को भावनात्मक रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है. सुप्रसिद्ध जर्मन हिन्दी विद्वान लोथर लुतसे के अमर कथन 'हिन्दी सीखे बिना भारतीयों के दिल तक नहीं पहुंचा जा सकता' का अनुसरण करते हुए सरकारी / निजी /विदेशी बैंकों ने हिन्दी को अपनाया है.

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपने साथ बदलाव की नई लहर लेकर आई. तकनीकी नवोन्मेष ने बीएफ़एसआई अर्थात बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेस एवं इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से पुन: परिभाषित कर दिया. बीते दशकों में यदि भारत में सबसे ज्यादा किसी सेवा में नवोन्मेषी परिवर्तन हुए हैं तो वह बैंकिंग सेवा ही है। सदियों पूर्व पारंपरिक ढंग से प्रारम्भ हुई बैंकिंग हमारे समक्ष आज एक नए रूप में मौजूद है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीक के बढ़ते प्रयोगों ने आज समस्त भौगोलिक सीमाएं पार कर डाली हैं और पूरा विश्व मानो एक माऊस के क्लिक पर आकर ठहर गया है. तकनीकी क्रान्ति ने प्रतिस्पर्धा के वैसे युग की शुरुआत की जहां भारतीय बैंकिंग पटल पर फिनटेक कंपनियों एवं विभेदक संस्थाओं जैसे भुगतान एवं लघु वित्त बैंकों का पदार्पण हो गया है. इन परिस्थियों में 'भाषिक आधार' और 'मृदुल व्यवहार' बैंकिंग सेवाओं के मूलमंत्र बन चुके हैं. ग्राहकों तक हिन्दी के माध्यम से पहुँचना अब बैंकों के लिए सांविधिक अधिकार ही नहीं बल्कि व्यावसायिक आवश्यकता बन चुका है।

भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ डी सुब्बाराव ने बदलते व्यावसायिक मापदंड और हिन्दी की आवश्यकता पर कहा था कि भारत में बैंकिंग का कारोबार हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं के बिना

नहीं किया जा सकता. बदलते परिप्रेक्ष्य में हिन्दी को बढ़ावा देना हमारा वैधानिक ही नहीं अपितु नैतिक उत्तरदायित्व भी है. बदलते आर्थिक परिदृश्य में हिन्दी की भूमिका निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है.

घटते लाभ मार्जिन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बैंक कर्मियों को अपने उत्पाद बेचने, विपणन करने एवं क्रॉस सेलिंग हेतु शाखा के बाहर से ग्राहक तलाशना पड़ता है। इससे बैंकों के संपर्क में ऐसे व्यक्ति भी आ रहे हैं जो अल्पशिक्षित / अशिक्षित हैं या हिन्दी /क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं जानते। ऐसे लोग तब संकोच में पहुँच जाते हैं जब उन्हें अंग्रेजी में कुछ बताया जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता, पूछने में हीनता / झिझक का एहसास होने से वे इन बातों को फिर से पूछ भी नहीं पाते, फलत: बैंक अपने ग्राहकों को जो बताना चाहते हैं वह अधूरा ही रह जाता है, जिसका नुकसान बैंक एवं ग्राहक दोनों को होता है। यदि ग्राहकों को समझ में आने वाली भाषा में बातचीत नहीं करेंगे तो वे हमसे विमुख होकर अन्य विकल्प तलाश कर लेंगे.

वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षारता अभियानों को जन सामान्य तक पहुँचने में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाएँ भाषा संपर्क सेतु का काम करती हैं. दुनियाभर में बैंकिंग व्यवस्था से वंचित आबादी का पाँचवाँ हिस्सा भारत में रहता है और इनमें अधिकतर आबादी महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की है। ग्राहकों का यह एक ऐसा वर्ग है जो अब तक बैंकिंग से बाहर ही रहा है। प्रसिद्ध विद्वान एसके प्रह्लाद ने अपनी पुस्तक 'द बॉटम ऑफ पिरामिड' में कहा है कि इस पिरामिड के मजबूत आयताकार आधार (अर्थात निम्न और मध्य आय वर्ग) पर जो बैंक ध्यान केन्द्रित करेंगे, वह पाएंगे कि वे ही लंबी दौड़ के घोड़े हैं, दीर्घजीवी हैं।

डिजिटल तरीकों ने जहां लेन देन को सुगम बनाया है वहीं इससे जुड़े कई अपराध भी मुंह खोले खड़े हैं। लोगों को साइबर धोखाधड़ी के बारे में जानकारी लगभग न के बराबर है क्योंकि साइबर जागरूकता के संदेश अधिकांशत: अंग्रेजी में होते हैं जो आम लोगों की समझ के परे होते हैं इस बात को समझते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 'आरबीआई कहता है' लोगों को हिन्दी / क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जागरूक करना प्रारम्भ किया और आज अनेक बैंक इसी तरह के अन्य उपाय अपना रहे हैं। लोगों को हिन्दी में एसएमएस तथा ई-मेल के जरिये बैंकिंग उत्पाद तथा सेवाओं के साथ साथ, क्या करें और क्या न करें की जानकारी भी बैंकों द्वारा दी जा रही है.

यह एक मिथ्य धारणा है कि बैंकों में हिन्दी का प्रयोग सांविधिक अपेक्षाओं और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के कारण हो रहा है न कि कारोबार की आवश्यकताओं के कारण. वास्तविकता तो यह है कि हिन्दी, बैंकों की जड़ें मजबूती से जमाने में बहुत बड़ी सहायक रही है और आज इसकी सरलता और सहजता ही करोड़ों गरीबों को बैंकों के प्रांगण तक ले आई है। बैंक शाखाओं में हिन्दी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है। कोर बैंकिंग सोल्युशन में हिन्दी का समावेश करके बैंकों ने एक नए भाषायी परिवेश की शुरुआत की है जिससे पास बुक और एफ़डीआर भी हिन्दी में जारी होने लगे हैं। देश में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने कि लिए बैंकों द्वारा एटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट और संपर्क केंद्र आदि में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। यूनिकोड से हिन्दी में कार्य करने में क्रांतिकारी बदलाव परिलक्षित हुए हैं। ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस और क्लाउड जैसे क्षेत्रों में हिन्दी का दखल बढ़ा है। ध्वनि प्रोसेसिंग तकनीकों और ऑप्टिकल केरेक्टर रिकग्नीशन जैसी सुविधाओं से भाषायी सामग्री के डिजिटलीकरण का मार्ग सुगम हुआ है.

भारतीय बैंकिंग जगत में इस समय बदलावों का दौर चल रहा है। नए निजी/विदेशी बैंक, भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक, फिनटेक, स्टार्ट अप्स, बैंकों का समामेलन आदि ने बैंकिंग की दिशा एवं दशा में चहुंमुखी परिवर्तन ला दिए हैं। आजकल विभिन्न बैंकों ने अपनी कुछ शाखाओं में ह्यूमेनोईड रोबॉट्स को उतारा है जो अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी तथा अन्य स्थानीय भाषाओं एवं ग्राहकों की शंकाओं के समाधान प्रस्तुत करते हैं. बैंकों की उच्च तकनीकी अर्थात हाई-टेक शाखाओं में विभिन्न मशीनें ग्राहकों से उनकी ही भाषा में इंटेरेक्ट करती हैं। कृत्रिम मेधा से सशक्त स्वाभाविक भाषा के खोजी इंजन एवं चैटबोट्स ग्राहकों की भाषा को समझकर तत्काल संभाषणात्मक सरल भाषा में उनके सवालों के जवाब देते हैं.

नया भारत 'महत्वाकांक्षी' भारत है, जिसकी लगभग 65% से भी अधिक जनसंख्या 35वर्ष से कम आयु की है. युवा पीढ़ी अपने आर्थिक कार्यकलापों में विभिन्न मोबाइल एवं सोशल मीडिया का उपयोग करती है। आज लगभग सभी मोबाइल हेंडसेट्स हिन्दी तथा अन्य भाषाओं को सपोर्ट करते हैं साथ ही तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हिन्दी उपलब्ध है. फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉग, व्हाट्सएप आदि की उपलब्धता ने देश के कोने कोने में आधुनिक तकनीकों को पहुंचा कर देशवासियों के दैनिक जीवन को एक नई दशा और दिशा प्रदान की है। इस बदलते परिदृश्य के कारण बैंकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करें. आधुनिक बैंकों में हिन्दी के उपयोग के नवीन पक्ष उभर कर सामने आ रहे हैं.

**आलोक मिश्रा**
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

# हमारे नराकास पुरस्कार

मडगांव शाखा, प्रथम पुरस्कार

भुज शाखा, प्रथम पुरस्कार

जौनपुर शाखा, प्रथम पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय सोलापुर, प्रथम पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय सिवान, प्रथम पुरस्कार

मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय, प्रथम पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय नासिक, द्वितीय पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, द्वितीय पुरस्कार

# हमारे नराकास पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, द्वितीय पुरस्कार

रोपड़ शाखा, द्वितीय पुरस्कार

एन.आई.टी. शाखा फरीदाबाद, तृतीय पुरस्कार

कोल्लम शाखा, तृतीय पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय कोयंबटूर, तृतीय पुरस्कार

आंचलिक कार्यालय दिल्ली, प्रोत्साहन पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, प्रोत्साहन पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय दुर्गापुर, विशिष्ट पुरस्कार

# राजभाषा हिन्दी की अन्य भारतीय भाषाओं के साथ समरसता

भारत भाषाई विविधता का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं, जो न केवल संप्रेषण का माध्यम हैं, बल्कि संस्कृति, इतिहास, परंपरा और सामाजिक चेतना की संवाहक भी हैं। इस बहुभाषी राष्ट्र में हिन्दी को संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया है। परंतु राजभाषा होने का आशय यह कदापि नहीं कि अन्य भारतीय भाषाएँ हाशिए पर चली जाएँ। इसके विपरीत, राजभाषा हिन्दी का दायित्व है कि वह देश की अन्य भाषाओं के साथ समरसता, सहयोग और सह-अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करे। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच समरसता राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है।

## भारतीय भाषाई परिदृश्य

भारत का भाषाई परिदृश्य अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनमें हिन्दी के अतिरिक्त बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, पंजाबी, असमिया, मैथिली, संथाली, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी और संस्कृत शामिल हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएँ भी देश की भाषाई संपदा को समृद्ध करती हैं। यह बहुलता भारत की शक्ति है, न कि कमजोरी।

## राजभाषा हिन्दी का स्वरूप

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिन्दी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सरल, सुगम और जनसुलभ बनाना है। हिन्दी को यह स्थान उसकी व्यापक जन-स्वीकृति, ऐतिहासिक विकास और संपर्क भाषा के रूप में उसकी भूमिका के कारण प्राप्त हुआ। किंतु संविधान ने अंग्रेज़ी के निरंतर प्रयोग और राज्यों को अपनी-अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार देकर भाषाई संतुलन बनाए रखा है।

## समरसता का अर्थ और महत्व

समरसता का अर्थ है-समानता में नहीं, बल्कि भिन्नता में एकता। भाषाई समरसता का तात्पर्य है कि प्रत्येक भाषा को सम्मान, संरक्षण और विकास का समान अवसर मिले। हिन्दी की समरस भूमिका तभी सार्थक है जब वह अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति सहिष्णु, सहयोगी और समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाए। भाषाई समरसता से न केवल राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रचनात्मक विकास को भी बल मिलता है।

## ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी और अन्य भाषाएँ

इतिहास साक्षी है कि हिन्दी का विकास अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क और संवाद से हुआ है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट जैसी भाषाओं के प्रभाव से हिन्दी समृद्ध हुई। इसी प्रकार फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू तथा क्षेत्रीय भाषाओं, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली ने हिन्दी को बहुरंगी स्वरूप प्रदान किया। यह पारस्परिक आदान-प्रदान समरसता का जीवंत उदाहरण है।

## साहित्यिक समरसता

भारतीय साहित्य में भाषाई समरसता की परंपरा अत्यंत सशक्त रही है। भक्तिकाल और सूफी आंदोलन ने भाषा की दीवारों को तोड़कर मानवीय संवेदना को केंद्र में रखा। कबीर, तुलसीदास, नामदेव, मीराबाई, गुरु नानक जैसे संतों ने विभिन्न भाषाओं और बोलियों में रचनाएँ कर एक साझा सांस्कृतिक चेतना का निर्माण किया। आधुनिक काल में भी अनुवाद साहित्य ने हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का कार्य किया है।

## प्रशासन और शिक्षा में समरसता

प्रशासनिक स्तर पर हिन्दी के प्रयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान अनिवार्य है। राज्यों को अपनी भाषाओं में प्रशासन चलाने का संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है, जिससे भाषाई विविधता सुरक्षित रहे। नई शिक्षा नीति भी बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करती है, जो हिन्दी और अन्य भाषाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

## हिन्दी का संपर्क भाषा के रूप में योगदान

हिन्दी ने देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को जोड़ने में संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवास, व्यापार, सिनेमा, मीडिया

और डिजिटल माध्यमों ने हिन्दी को व्यापक पहुँच प्रदान की है। किंतु यह भूमिका तभी सकारात्मक है जब हिन्दी अन्य भाषाओं को प्रतिस्थापित करने का नहीं, बल्कि उनसे संवाद स्थापित करने का माध्यम बने।

## मीडिया और प्रौद्योगिकी में समरसता

आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और आकाशवाणी-दूरदर्शन जैसे माध्यमों ने बहुभाषिक सामग्री को बढ़ावा दिया है। हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार, मनोरंजन और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होना भाषाई समरसता को सशक्त करता है। तकनीक ने भाषाओं के बीच दूरी कम की है और अनुवाद के माध्यम से संवाद को सरल बनाया है।

## चुनौतियाँ

भाषाई समरसता के मार्ग में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कभी-कभी हिन्दी को थोपे जाने की आशंका, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति उपेक्षा की भावना, और अंग्रेज़ी के बढ़ते प्रभाव से असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, छोटी और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण का प्रश्न भी गंभीर है। यदि समावेशी दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया, तो भाषाई असमानता सामाजिक तनाव को जन्म दे सकती है।

## समाधान और आगे की राह

इन चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक है कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार को अन्य भाषाओं के विकास के साथ जोड़ा जाए। अनुवाद को प्रोत्साहन, बहुभाषिक शिक्षा, प्रशासन में लचीली भाषा नीति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे उपाय अपनाने होंगे। साथ ही, प्रत्येक नागरिक में भाषाई सहिष्णुता और सम्मान की भावना विकसित करना आवश्यक है।

## हिन्दी की समन्वयकारी भूमिका

राजभाषा हिन्दी का भविष्य तभी उज्ज्वल है जब वह स्वयं को समन्वयकारी भाषा के रूप में स्थापित करे। हिन्दी को नेतृत्व की नहीं, बल्कि सेतु की भूमिका निभानी चाहिए - जो विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों को जोड़ सके। यह दृष्टिकोण संविधान की भावना और भारत की आत्मा के अनुरूप है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि राजभाषा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच समरसता भारत की एकता और विविधता का मूल आधार है। हिन्दी का गौरव तभी स्थायी है जब वह अन्य भाषाओं के साथ सह-अस्तित्व, सहयोग और सम्मान का भाव बनाए रखे। भाषाई समरसता न केवल प्रशासनिक आवश्यकता है, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक दायित्व भी है। बहुभाषिक भारत में हिन्दी की सफलता इसी में निहित है कि वह सबको साथ लेकर चले और ''विविधता में एकता'' के भारतीय आदर्श को साकार करे।

**अविनाश कुमार**
मुख्य प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय - कोयंबटूर

# ईमानदारी जिसने भरोसा लौटाया

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता (द), भवानीपुर शाखा के अधीनस्थ कर्मचारी श्री बास्कर बारिक ने अपनी अनुकरणीय ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से बैंक के मूल्यों को सशक्त किया है। सफाई कार्य के दौरान लॉकर कक्ष में प्राप्त आभूषणों को उन्होंने सुरक्षित रखकर निर्धारित बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों को सूचित किया। उचित सत्यापन के पश्चात, लंबे समय से खोए आभूषण संबंधित ग्राहक को सकुशल लौटाए गए। इस सराहनीय कार्य से भावुक हुए ग्राहक ने बैंक एवं श्री बारिक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। श्री बास्कर बारिक का आचरण समस्त कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

# भारत में लघु वित्त बैंक की प्रासंगिकता

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से पूरी तरह जुड़ा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र, असंगठित श्रमिक, छोटे व्यापारी, महिला स्व-सहायता समूह और निम्न आय वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लघु वित्त बैंकों की परिकल्पना की गई। ये बैंक वित्तीय समावेशन को गति देने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरे हैं।

लघु वित्त बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक की दो प्रमुख समितियों, नचिकेत मोर समिति एवं उषा थोराट समिति की अनुशंसा पर लाया गया था।

## 1. नचिकेत मोर समिति 2013

**प्रमुख अनुशंसाएँ:**

ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लिए अलग प्रकार के बैंक स्थापित किए जाएँ.

- ''पेमेंट बैंक'' और ''लघु वित्त बैंक'' जैसी नई बैंकिंग श्रेणियाँ बनाई जाएँ.
- माइक्रो-फाइनेंस संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग में परिवथर्तित करने की व्यवस्था की जाए.

इसी समिति ने पहली बार लघु वित्त बैंक की अवधारणा प्रस्तुत की।

## 2. उषा थोराट समिति 2011

**प्रमुख अनुशंसाएँ:**

- ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्रों में बैंकिंग पहुँच बढ़ाने हेतु विशेष बैंकों की आवश्यकता
- छोटे ऋण और बचत को बढ़ावा देने के लिए अलग बैंक मॉडल की संस्तुति

इस समिति ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए अलग प्रकार के बैंकों का सुझाव दिया।

लघु वित्त बैंक की स्थापना का सीधा आधार नचिकेत मोर समिति (2013) की अनुशंसा रही, जबकि उषा थोराट समिति (2011) ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की। इनका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को बचत, ऋण, बीमा और भुगतान जैसी आधारभूत बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

**लघु वित्त बैंक की प्रमुख विशेषताएँ**

| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| लाइसेंस | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी |
| न्यूनतम पूँजी | ₹200 करोड़ |
| ऋण वितरण | कम से कम 75% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को |
| शाखा विस्तार | 25% शाखाएँ ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य |
| ग्राहक वर्ग | छोटे किसान, असंगठित श्रमिक, एमएसएमई, स्वयं सहायता समूह, महिलाएँ |

**लघु वित्त बैंक की भूमिका और महत्व :**

1. **वित्तीय समावेशन का विस्तार** - ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच।
2. **सूक्ष्म ऋण को बढ़ावा** - छोटे व्यापारियों और किसानों को ऋण सुविधा।
3. **महिला सशक्तिकरण** - स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता।
4. **डिजिटल भुगतान का प्रसार** - यूपीआई, डीबीटी, जनधन खातों का विस्तार।
5. **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल** - रोजगार सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहन।

**चुनौतियाँ :**

- सीमित पूँजी और संसाधन
- उच्च एनपीए का खतरा
- बड़े बैंकों से प्रतिस्पर्धा
- तकनीकी अवसंरचना की कमी

आगे हम यदि लघु वित्त बैंक के सम्बन्ध में विवेचना करें तो इसे हम इसके पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत कर कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं।

**भाग 1: पक्ष में**

1. 'लास्ट माइल' कनेक्टिविटी (अंतिम व्यक्ति तक पहुँच) : बड़े वाणिज्यिक बैंक अक्सर उन दूरदराज के गाँवों में अपनी शाखाएँ नहीं खोलते जहाँ परिचालन लागत अधिक होती है। लघु वित्त बैंक विशेष रूप से इन क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे 'डोर-स्टेप बैंकिंग' और 'बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट' मॉडल का उपयोग करते हैं,

जिससे एक अनपढ़ या कम पढ़ा-लिखा ग्रामीण भी बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बन जाता है।

2. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सशक्तिकरण :** ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन 'कुटीर उद्योग' हैं। लघु वित्त बैंक छोटे ऋण प्रदान करने में माहिर हैं। उदाहरण: एक ग्रामीण महिला जो अचार का व्यवसाय शुरू करना चाहती है, उसे बड़े बैंक से लोन मिलने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन ये उसकी स्थानीय साख को समझकर जल्दी ऋण उपलब्ध कराते हैं।

3. **महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह:** ग्रामीण भारत में महिलाएं आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ हैं। लघु वित्त बैंक अक्सर महिलाओं के समूहों को ऋण देते हैं, जिससे न केवल आर्थिक स्वतंत्रता आती है, बल्कि सामाजिक निर्णय लेने में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ती है। यह ग्रामीण समाज के लैंगिक सशक्तिकरण में क्रांतिकारी बदलाव है।

4. **वित्तीय बचत की आदत:** केवल ऋण देना ही नहीं, बल्कि छोटी-छोटी जमा राशि को प्रोत्साहित करना भी इनका काम है। जब ग्रामीण व्यक्ति को पता होता है कि उसका पैसा सुरक्षित है और उसे वे पैसे आवश्यकता होने पर आसानी से मिल जायेंगे तो वह बैंक पर विश्वास रखता है। ग्रामीण स्तर पर लघु वित्त बैंक छोटे छोटे स्तर पर अपनी पैठ बना रहे हैं और लोगों में बचत की आदत का सृजन कर रहे हैं।

5. **लघु वित्त बैंक बैंकिंग सुविधा का प्रसार कर रहा है :** आज भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवा की सुविधा की पहुंच बनाना है। इस क्रम में ऐसे क्षेत्र जहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं है, वहां लघु वित्त बैंक की पहुँच ने लोगों को बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने का अवसर दिया है।

6. **ऋण की जरूरतों को कम से कम समय में उपलब्ध होना :** आज सरकारी और निजी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को जमा करने और दस्तावेजों को तैयार करने हेतु कहा जाता है, इससे ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में लघु वित्त बैंक कम से कम दस्तावेजों के साथ त्वरित गति से नागरिकों को ऋण देकर उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

**भाग 2: विपक्ष में**

1. **लाभ-संचालित दृष्टिकोण :** लघु वित्त बैंक निजी संस्थान हैं। उनका प्राथमिक लक्ष्य लाभ कमाना है। ऐसे में, वे केवल उन गाँवों या छोटे शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहाँ से उन्हें पैसा वापस मिलने की उम्मीद होती है। वे अति-पिछड़े क्षेत्रों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता बनी रहती है।

2. **ऋण का जाल:** चूंकि इन बैंकों का जोखिम अधिक होता है, इसलिए इनकी ब्याज दरें बहुत ऊंची होती हैं। यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाए या छोटे व्यवसायी को घाटा हो जाए, तो चक्रवर्ती ब्याज उसे 'कर्ज के जाल' में धकेल देता है। यहाँ 'वित्तीय समावेशन' के बजाय 'वित्तीय शोषण' का खतरा पैदा हो जाता है।

3. **तकनीकी बाधाएं:** लघु वित्त बैंक का मॉडल डिजिटल ट्रांजेक्शन पर बहुत निर्भर है। लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी बिजली की कटौती और कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। बिना डिजिटल साक्षरता के, ये बैंक केवल कागजों पर ही आधुनिक लगते हैं, धरातल पर ग्रामीण व्यक्ति अब भी बिचौलियों पर निर्भर रहता है।

4. **बड़े बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा:** लघु वित्त बैंक को बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (जैसे भारतीय स्टेट बैंक) और ग्रामीण बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। उनके पास पूंजी की लागत अधिक होती है, जिससे वे बहुत सस्ती दरों पर ऋण नहीं दे पाते।

**भाग 3: तुलनात्मक चार्ट (तथ्यों के लिए)**

| विशेषता | लघु वित्त बैंक (लघु वित्त बैंक) | पारंपरिक वाणिज्यिक बैंक |
|---|---|---|
| प्राथमिकता क्षेत्र ऋण | इनके लिए 75% अनिवार्य है। | इनके लिए 40% अनिवार्य है। |
| ऋण का आकार | मुख्य रूप से छोटे ऋण | बड़े और कॉर्पोरेट ऋण। |
| ग्राहक आधार | किसान, छोटे व्यापारी, अनौपचारिक श्रमिक। | संगठित क्षेत्र और शहरी आबादी। |
| ब्याज दर | तुलनात्मक रूप से अधिक (16% - 24%)। | तुलनात्मक रूप से कम (8% - 12%)। |

**भाग 4: निष्कर्ष**

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केवल दान या सब्सिडी की नहीं, बल्कि सुलभ पूंजी की जरूरत है। लघु वित्त बैंक वही 'पूंजी का पुल' हैं जो एक ग्रामीण उद्यमी के सपने और बाजार की वास्तविकता को जोड़ते हैं। ये बैंक केवल पैसा नहीं बांट रहे, बल्कि ग्रामीण भारत में 'आत्मनिर्भरता' का बीज बो रहे हैं।''

**समापन :** केवल बैंक खोल देने से गरीबी दूर नहीं होती। उच्च ब्याज दरें और सख्त वसूली ग्रामीण मासूमियत का गला घोंट सकती हैं। जब तक सरकार शिक्षा, सिंचाई और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करती, तब तक ये बैंक केवल कर्ज बेचने वाली दुकानें ही रहेंगे, अर्थव्यवस्था बदलने वाले क्रांतिकारी नहीं।''

लघु वित्त बैंक भारत की बैंकिंग व्यवस्था का वह सशक्त माध्यम हैं जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। यदि इन्हें पर्याप्त पूँजी, तकनीकी सहयोग और नियामकीय समर्थन मिलता रहे, तो ये 'समावेशी विकास' के लक्ष्य को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

**श्री संजीव कुमार**
वरिष्ठ प्रबंधक
अंचल कार्यालय, पटना

# हिन्दी भाषा के विकास में अहिन्दी भाषियों का योगदान

हिन्दी भाषा भारत की आत्मा है। यह केवल एक संप्रेषण माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक समरसता की पहचान है। देश में प्रचलित 780 भाषाओं और 66 लिपियों के बीच हिन्दी की स्वीकृति और व्यापकता का दायरा अद्भुत है। वर्तमान में लगभग 45 करोड़ भारतीय हिन्दी बोलते हैं और लगभग 13 करोड़ लोग विदेशों में इसका प्रयोग करते हैं। इस व्यापकता का श्रेय न केवल हिंदी भाषियों को जाता है, बल्कि उन असंख्य अहिन्दी भाषी महापुरुषों, चिंतकों, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, पत्रकारों और साहित्यकारों को भी जाता है, जिन्होंने हिंदी के प्रति अगाध प्रेम दिखाया है। इसे सीखा, अपनाया, प्रचारित एवं प्रसारित किया है। उन्होंने यह कार्य केवल भाषिक अभिव्यक्ति के लिए नहीं किया, बल्कि राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर किया।

यदि देखा जाए तो देश के अहिंदी भाषी राज्यों- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर जैसे राज्यों ने हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाया है। विदेशों में भी फिजी, सूरीनाम, मॉरीशस, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में हिंदी बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है। इन देशों में हिंदी की स्थानीय उप बोलियाँ- 'फिजिबात', 'सरनामी', 'पारया', 'नेताली' जैसी नई भाषिक शैलियों के रूप में विकसित हुई हैं।

भारत में भाषाई विविधता अत्यंत समृद्ध और व्यापक है। संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अतिरिक्त सैकड़ों बोलियाँ और उप बोलियाँ विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इस भाषाई बहुलता में हिंदी एक ऐसी भाषा बनकर उभरी है, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के देशवासियों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करती है। हिंदी का विकास संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी प्राचीन भाषाओं से हुआ है, जबकि इसकी बोलियों- ब्रज, अवधी, बुंदेली, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि ने इसे जनपदीय आधार दिया है। लेकिन इसका राष्ट्रीय स्वरूप उन परिस्थितियों में विकसित हुआ, जब देश की आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता महसूस की गई।

जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इस दौरान हिंदी ने जन-जन को जोड़ने का कार्य किया। राष्ट्र की एकता के लिए संपर्क भाषा के रूप में इसकी आवश्यकता को लगभग सभी प्रांतीय नेताओं ने समझा। इन नेताओं में अधिकांश की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हिंदी को अपना संप्रेषण माध्यम बनाया। जैसे कि महात्मा गाँधी, दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस आदि महान शख्सियतों की मातृभाषाएँ अलग-अलग थीं। यही कारण है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। देश के सभी कोनों से आए विविध भाषा-भाषी क्रांतिकारियों ने जनता तक अपने संदेश पहुँचाने के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषी नेताओं ने हिंदी सीखी और प्रचारित की।

महात्मा गाँधी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। मूलत: गुजराती भाषी गाँधीजी ने न केवल हिंदी में संवाद किया, बल्कि 'हरिजन' जैसी पत्रिका भी हिंदी में निकाली। उन्होंने अपने पत्राचार, भाषण और रचनात्मक कार्यों में हिंदी को प्राथमिकता दी। उन्होंने साफ कहा कि जब वे दिल्ली के मुसलमानों के बीच गए, तो उर्दू की लच्छेदार शैली के बजाय टूटी-फूटी हिंदी में ही अपनी बात कहना बेहतर समझा।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदी को धार्मिक और सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने अपने ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' और 'वेद भाष्य' हिंदी में प्रस्तुत किए, जबकि वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और गुजराती भाषी थे। उनकी हिंदी शैली ने आर्य समाज के प्रसार में योगदान दिया।

मराठी भाषी माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरूजी) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक के रूप में हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उन्होंने देशभर में हजारों भाषण हिंदी में दिए और अनेक पत्रों के माध्यम से हिंदी के प्रचार में योगदान दिया। उन्होंने कहा था कि जब अनुवाद दोनों भाषाओं में किया ही जाना है, तो मैं सहज भाषा - हिंदी में बोलना पसंद करूंगा।

हिंदी पत्रकारिता के विकास में भी गैर हिंदी भाषी पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। बाबुराव विष्णु पराड़कर (मराठी भाषी) ने कोलकाता से 'भारतमित्र' तथा वाराणसी से 'आज' जैसे प्रमुख हिंदी दैनिकों का संपादन किया। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को भाषाई समाचार पत्रों की सीमाओं से बाहर निकाल कर राष्ट्रीय मंच

प्रदान किया। उनकी संपादकीय भाषा नवगठित, आत्मनिर्भर और संस्कारित हिंदी थी। उन्होंने 'मानकीकरण', 'मुद्रास्फीति', 'राष्ट्र' जैसे नए शब्द हिंदी को दिए और अंग्रेजी के पर्याय तलाशे। पराड़कर जी की पत्रकारिता ने हिंदी को विचार, तर्क और राष्ट्रीयता की भाषा बनाया।

इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य को नई ऊँचाइयाँ देने में अनेक गैर हिंदी भाषी रचनाकारों ने अपना योगदान दिया। गुजराती भाषी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने 'हंस' जैसी उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका के संपादन में प्रेमचंद का सहयोग किया। उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की जो ऐसा केंद्र बना, जहाँ भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक बौद्धिक आकांक्षाओं ने एक साथ समाहित होकर नए साहित्य, नवीन इतिहास और समकालीन संस्कृति का सृजन किया। उन्होंने महाभारत के पात्रों पर आधारित अनेक हिंदी कृतियाँ लिखीं।

पंजाबी भाषी और अंग्रेजी के विद्वान डॉ. नरेन्द्र कोहली ने हिंदी में 'अभ्युदय', 'महासमर', 'वसुदेव', 'सैरंध्री' जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यासों की रचना की। उनके लेखन ने आधुनिक हिंदी उपन्यास को नई ऊंचाई दी।

मराठी भाषी लेखक डॉ. श्रीधर गोविंद पराड़कर ने लगभग दो दर्जन हिंदी पुस्तकें लिखीं, जिनमें भारतीय चिंतन, क्रांतिकारी व्यक्तित्व और योग-दर्शन शामिल हैं। उनका यह सृजन हिंदी भाषा की व्यापकता और गहराई को दर्शाता है।

इसके अलावा डॉ. बालशौरी रेड्डी और डॉ. एन. गोविंदराजन जैसे तमिल भाषी विद्वानों ने दक्षिण भारत में हिंदी पत्रिकाओं के संपादन, लेखन और प्रचार के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी अहिंदी भाषियों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार को महत्त्वपूर्ण समर्थन दिया। विनोबा भावे ने परमधाम आश्रम की स्थापना की। डॉ. अनंत सदाशिव उल्तेकर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने शोध कार्य हिंदी में प्रस्तुत किए। डॉ. काशीनाथ केरकर और श्री कृष्णजी देशपांडे जैसे विद्वानों ने हिंदी भाषा पर शोध और प्रचार कार्य किए।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महात्मा मुंशी राम ने हिंदी को शिक्षा और शोध का माध्यम बनाया। भारत के बाहर हिंदी का प्रसार भी मुख्यत: भारतीय प्रवासी समुदाय और हिंदी-प्रेमी विद्वानों के अथक प्रयासों से संभव हुआ। 10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

1976 में मराठी पत्रकार अनंत गोपाल शेवड़े के प्रयासों से नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित 10वां सम्मेलन और 2018 में मॉरीशस में आयोजित 11वां सम्मेलन इस दिशा में मील के पत्थर हैं। इन सम्मेलनों ने प्रस्ताव पारित कर हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने की मांग की।

हाल ही में संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को हिंदी में भाषण देने का निर्देश दिया गया है, यदि उन्हें हिंदी आती है। इसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10 तक हिंदी अनिवार्य कर दी गई है। इससे गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षण को बल मिलेगा। सरकारी व निजी क्षेत्र की संस्थाएं मिलकर हिंदी को राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा के रूप में सशक्त बना रही हैं।

इस प्रकार हिंदी के प्रचार-प्रसार, विकास और प्रतिष्ठा में अहिंदी भाषियों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है। उन्होंने इसे केवल संपर्क भाषा या शासन की भाषा के रूप में नहीं, बल्कि आत्मीय भाषा के रूप में अपनाया। साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा, राजनीति, धर्म, समाज सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में उनके योगदान ने हिंदी को वह व्यापक आधार प्रदान किया, जो इसे आज प्राप्त है।

हिंदी की यह यात्रा केवल हिंदी भाषियों की नहीं, बल्कि भारत की भाषिक एकता, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक विविधता की साझा धरोहर है। आज जब हम हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने का सपना देख रहे हैं, तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इसकी शक्ति केवल इसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में है, जो सबको जोड़ती है। हिंदी केवल भाषा नहीं, भारतीयता की पहचान है और इसके निर्माण में हर प्रदेश, हर जाति, हर भाषा और हर व्यक्ति का योगदान है। अत: हिंदी के विकास में अहिंदी भाषियों की सेवा एक प्रेरणा है- राष्ट्रीय एकता के लिए भाषिक समरसता के लिए और भावनात्मक एकसूत्रता के लिए।

**बीरेन्द्र कुमार**
मुख्य प्रबंधक
उत्तर मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

# संयुक्त अरब अमीरात: प्रगति, विरासत और अनुशासन का प्रेरणादायक मॉडल

संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा मात्र पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, स्वच्छता, उत्कृष्ट प्रशासन और दीर्घकालिक दृष्टि का एक जीवंत एवं प्रेरक पाठ है - ऐसी सीखें जिन्हें किसी भी संगठन और व्यवस्था में प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है। अबू धाबी, दुबई और शारजाह की मेरी यात्रा ने यह स्पष्ट किया कि यह देश केवल आधुनिकता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गहराई, नागरिक जिम्मेदारी और सामूहिक अनुशासन का भी एक अद्भुत संगम है।

संयुक्त अरब अमीरात सात अमीरातों से मिलकर बना है, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह और अजमान प्रमुख अमीरात हैं। संयुक्त अरब अमीरात की कुल जनसंख्या लगभग एक करोड़ तेरह लाख है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस कुल आबादी में मूल अमीराती नागरिक मात्र लगभग 11.50% हैं, जबकि लगभग 38% जनसंख्या भारतीयों की है। शेष जनसंख्या पाकिस्तान, चीन, मिस्र, फिलीपींस, बांग्लादेश तथा अन्य देशों से आए लोगों की है। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई देता; विभिन्न धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोग एक बहुसांस्कृतिक परिवेश में पूर्ण अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और सौहार्द के साथ शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हैं।

## अबू धाबी: नेतृत्व, संतुलन और सांस्कृतिक भव्यता

**अबू धाबी, जो यूएई** की राजधानी है, एक शांत, सुव्यवस्थित और परिपक्व नेतृत्व वाली पहचान प्रस्तुत करता है। यहाँ का वातावरण गंभीर प्रशासन, संतुलित विकास और दूरदर्शी सोच को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। शेख़ ज़ायद भव्य मस्जिद अपनी भव्य सफ़ेद संगमरमर की कारीगरी के साथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पवित्रता, पारदर्शिता, सहिष्णुता और सुदृढ़ मूल्यों का जीवंत प्रतीक है।

**यास मॉल, फरारी वर्ल्ड और हुदैरियात आइलैंड** आधुनिक मनोरंजन, अवकाश और प्राकृतिक सौंदर्य का उत्कृष्ट संतुलन प्रस्तुत करते हैं। वहीं लूव्र अबू धाबी ज्ञान, वैश्विक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक संवाद की एक अद्वितीय मिसाल है, जो यह दर्शाता है कि आधुनिकता और विरासत एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

क्रॉनिक अबू धाबी का समुद्री तट विशेष रूप से प्रभावित करता है। यहां निष्कलंक स्वच्छता, सुव्यवस्थित पैदल मार्ग, शांत वातावरण और उच्च स्तर का नागरिक अनुशासन सहज रूप से दिखाई देता है। यह अनुभव स्पष्ट करता है कि स्वच्छता, अनुशासन और क्रमबद्ध व्यवस्था केवल सौंदर्य ही नहीं बढ़ाते, बल्कि समाज और शासन - दोनों में गहरा विश्वास भी उत्पन्न करते हैं।

## दुबई: महत्वाकांक्षा, नवाचार और श्रेष्ठ क्रियान्वयन

दुबई वह शहर है जहाँ सपने केवल देखे नहीं जाते, बल्कि ठोस आकार लेते हैं। बुर्ज ख़लीफ़ा दुबई मॉल, दुबई मरिना, दुबई फ्रेम और फर्नीचर संग्रहालय जैसी संरचनाएँ मात्र इमारतें नहीं, बल्कि यह स्पष्ट संदेश हैं कि ऊँची सोच तभी साकार होती है जब उसके साथ सुनियोजित क्रियान्वयन और कठोर अनुशासन जुड़ा हो।

दुबई ही नहीं, बल्कि पूरे यूएई का यातायात प्रबंधन अत्यंत प्रभावशाली है। भारी ट्रैफिक दबाव के बावजूद लेन अनुशासन, गति सीमा का पालन, नियमों की सख़्ती और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह प्रभावी दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण व्यवस्था स्वचालित रूप से संचालित हो रही हो। यहाँ की सड़कों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों से भी कहीं अधिक उन्नत है।

दुबई का गोल्ड सूक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और भव्य सोने के बाज़ारों में से एक है। यहाँ शुद्धता, डिज़ाइन और विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हज़ारों दुकानों में पारंपरिक और आधुनिक गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध है। पर्यटकों के लिए यह बाज़ार दुबई की समृद्ध व्यापारिक संस्कृति का प्रतीक है।

दुबई की स्वच्छता विशेष रूप से प्रेरित करती है। लाखों पर्यटकों के बावजूद सड़कें, मेट्रो स्टेशन, सार्वजनिक स्थल हमेशा चमकते रहते हैं। यह स्वच्छता केवल नियम नहीं, बल्कि नागरिक आदत है ।

## शारजाह: सांस्कृतिक गहराई, स्थिरता और संतुलन

शारजाह को संयुक्त अरब अमीरात का सांस्कृतिक हृदय कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह अमीरात अपनी शांत, गहन और विरासत-केन्द्रित पहचान के लिए जाना जाता है, जहाँ आधुनिकता परंपरा के साथ संतुलित रूप से आगे बढ़ती है। यहाँ के संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र और शारजाह विरासत क्षेत्र तथा शारजाह वॉटरफ्रंट स्पष्ट रूप से यह संदेश देते हैं कि विकास का वास्तविक अर्थ अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोना नहीं, बल्कि उसे सहेजते हुए आगे बढ़ाना है।

शारजाह में कला, साहित्य, इतिहास और इस्लामी विरासत को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जो इसे शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। यहाँ की जीवन-शैली अपेक्षाकृत सादगीपूर्ण, मर्यादित और अनुशासन-प्रधान है, जो समाज में स्थिरता और सामूहिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करती है।

इसके अतिरिक्त, शारजाह का अनुशासित यातायात प्रबंधन, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थल और सख़्त नागरिक नियम यह सिखाते हैं कि निरंतरता, नियमों का कड़ाई से पालन और स्पष्ट प्रशासनिक दिशा किसी भी संस्था या समाज को दीर्घकालिक स्थिरता और विश्वास प्रदान करती है। शारजाह वास्तव में यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि संस्कृति, अनुशासन और सुशासन मिलकर एक संतुलित और सतत विकास मॉडल रच सकते हैं।

## यूएई का नागरिक अनुशासन: एक राष्ट्रीय आदत

पूरे यूएई में कुछ विशेषताएँ समान रूप से स्पष्ट दिखाई देती हैं - अद्वितीय स्वच्छता, पूर्णत: अनुशासित यातायात और सख़्त लेन पालन, विश्व-स्तरीय और सुव्यवस्थित सड़कें, तथा सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा और स्वच्छता का उच्चतम मानक। आवारा पशुओं का अभाव, सुनियोजित ऊँची इमारतें और अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित सड़क-जाल यह सोचने पर विवश करते हैं कि जहाँ मूल नागरिक मात्र लगभग 11.50% हों, वहाँ इतनी सुव्यवस्थित, सुरक्षित और विकसित व्यवस्था कैसे संभव है। इसका उत्तर स्पष्ट है - कड़े सिस्टम, सुस्पष्ट नियम और उनका ईमानदार अनुपालन।

एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यूएई में भिक्षावृत्ति पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ भीख माँगना कानूनन अपराध है और इसके विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाती है। यह नीति आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक जीवन और स्वाभिमान को प्रोत्साहित करती है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा, गरिमा और अनुशासन बना रहता है - जो किसी भी विकसित समाज की बुनियादी पहचान है।

ये सभी पहलू यह सिद्ध करते हैं कि जब व्यवस्थाएँ मज़बूत हों और नागरिक जागरूक हों, तो परिणाम असाधारण होते हैं। अनुशासन और स्वच्छता केवल बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि संस्थागत मजबूती और दीर्घकालिक सफलता की आधारशिला हैं।

## भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका

यूएई की जनसंख्या का लगभग 38% भारतीय समुदाय से है, जो व्यापार, वित्त, चिकित्सा, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। विभिन्न संस्कृतियों का यह सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि विविधता किसी भी राष्ट्र की शक्ति बन सकती है।

## विरासत और आधुनिकता का संतुलित संगम

तेज़ विकास के बावजूद यूएई अपनी परंपराओं को सम्मानपूर्वक संरक्षित रखता है। पारंपरिक सूक, हेरिटेज क्षेत्र, सांस्कृतिक स्मारक और ऐतिहासिक बस्तियाँ यह दर्शाती हैं कि प्रगति और संस्कृति एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। यह संतुलन संस्थानों - विशेषकर बैंकों - के लिए प्रेरक है: नवाचार अपनाएँ, पर मूल मूल्यों से समझौता न करें।

## संस्थाओं के लिए प्रेरणा और निष्कर्ष

यूएई की यात्रा यह प्रमाणित करती है कि स्वच्छता, अनुशासन, मूल्य-आधारित प्रशासन, दीर्घ दृष्टि और नागरिक जिम्मेदारी जब एक साथ मिलते हैं, तो विकास अवश्यंभावी हो जाता है। बैंकिंग संस्थाएँ भी इन्हीं सिद्धांतों - स्वच्छ प्रशासन, मज़बूत प्रक्रियाओं, स्पष्ट नियम, सामूहिक उत्तरदायित्व और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता - पर आगे बढ़ सकती हैं।

मेरी यूएई यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि प्रेरणा का सशक्त स्रोत रही। यह देश दिखाता है कि अनुशासन, स्वाभिमान और निरंतर परिश्रम से किसी राष्ट्र को विश्व-स्तर पर स्थापित किया जा सकता है और यूएई इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

**मोहम्मद शाहिद खां**
वरिष्ठ प्रबंधक
डीआई टी, बेलापुर

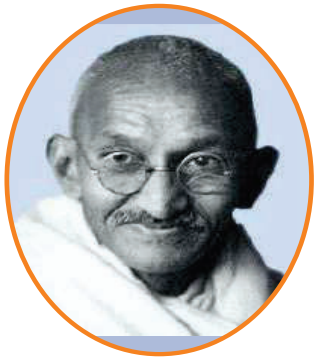

हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है
राष्ट्र और जाति की उन्नति।
-महात्मा गांधी

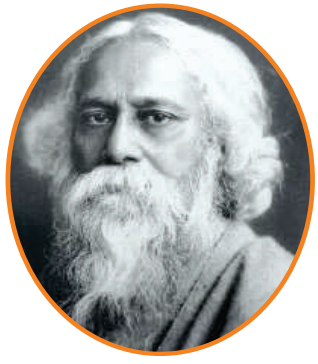

भारतीय भाषाएँ नदियाँ हैं
और हिंदी महानदी।
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर

राष्ट्र की एकता को यदि बनाकर रखा जा सकता है
तो उसका माध्यम हिंदी में ही हो सकता है।
- सुब्रह्मण्यम भारती

सबको हिंदी सीखनी चाहिए। इसके द्वारा
भाव विनिमय में सारे भारत को सुविधा होगी।
-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

# सुकन्या समृद्धि योजना के साथ

## अपने बेटी के भविष्य को बनाएं सुरक्षित और समृद्ध

- ₹1.5 लाख से शुरू
- आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट

GIVE US A MISSED CALL
FOR LOAN ASSISTANCE

**922 390 1111**

CONNECT US ON
WHATSAPP AT

**998 097 1256**

*Term & Condition apply

www.centralbankofindia.co.in